2019 का विधेयक संख्यांक 373

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अधिनियम का लागू होना ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

डाटा विश्वासी की बाध्यताएं

4. वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का प्रतिषेध ।
5. वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन पर निर्बन्धन ।
6. वैयक्तिक डाटा के संग्रहण पर निर्बन्धन ।
7. वैयक्तिक डाटा के संग्रहण या प्रक्रमण के लिए सूचना की अपेक्षा ।
8. प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की क्वालिटी ।
9. वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण पर निर्बन्धन ।
10. डाटा विश्वासी की उत्तरदेयता ।
11. वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति का आवश्यक होना ।

अध्याय 3

सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार

12. कतिपय मामलों में सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार ।
13. नियोजन, आदि से संबंधित प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का आवश्यक होना ।
14. अन्य युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।
15. वैयक्तिक डाटा का संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में प्रवर्गीकरण ।

अध्याय 4

बालकों का वैयक्तिक डाटा और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा

16. बालकों के वैयक्तिक डाटा और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।

अध्याय 5

डाटा स्वामी के अधिकार

17. पुष्टि और पहुंच का अधिकार ।
18. संशोधन और मिटाने का अधिकार ।
19. डाटा सुवाह्यता का अधिकार ।
20. क्षमा किए जाने का अधिकार ।
21. इस अध्याय में अधिकारों के प्रयोग के लिए साधारण शर्तें ।

अध्याय 6

पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी उपाय

22. डिजाइन नीति द्वारा निजता ।
23. वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में पारदर्शिता ।
24. सुरक्षा रक्षोपाय ।

खंड

25. वैयक्तिक डाटा भंग की रिपोर्ट करना ।
26. डाटा विश्वासियों का महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में वर्गीकरण ।
27. डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण ।
28. अभिलेखों का अनुरक्षण ।
29. नीतियों की संपरीक्षा और प्रक्रमण का संचालन, आदि ।
30. डाटा संरक्षण अधिकारी ।
31. डाटा विश्वासियों से भिन्न इकाइयों द्वारा प्रक्रमण ।
32. डाटा विश्वासी द्वारा शिकायत का निवारण ।

अध्याय 7

भारत से बाहर वैयक्तिक डाटा के अंतरण पर निर्बन्धन

33. भारत से बाहर संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण पर प्रतिषेध ।
34. संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा के अंतरण के लिए शर्तें ।

अध्याय 8

छूटें

35. केन्द्रीय सरकार की अधिनियम के लागू होने से सरकार के किसी अभिकरण को छूट देने की शक्ति ।
36. वैयक्तिक डाटा के कतिपय प्रक्रमण के लिए कतिपय उपबंधों से छूट ।
37. केन्द्रीय सरकार की कतिपय प्रक्रमणकर्ताओं को छूट देने की शक्ति ।
38. अनुसंधान, अभिलेखागारण या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए छूट ।
39. लघु इकाइयों द्वारा हस्त प्रक्रमण के लिए छूट ।
40. नवाचार, आदि के प्रोत्साहन के लिए सैंडबाक्स ।

अध्याय 9

भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण

41. प्राधिकरण की स्थापना ।
42. सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठन और अर्हताएं ।
43. नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ।
44. अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का हटाया जाना ।
45. अध्यक्ष की शक्तियां ।
46. प्राधिकरण की बैठकें ।
47. रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
48. प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।
49. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।
50. व्यवहार संहिता ।
51. प्राधिकरण की निदेश जारी करने की शक्ति ।
52. जानकारी मांगने की प्राधिकरण की शक्ति ।
53. जांच करने की प्राधिकरण की शक्ति ।
54. जांच के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाई ।
55. तलाशी और अभिग्रहण ।
56. प्राधिकरण और अन्य विनियामकों या प्राधिकरणों के बीच समन्वय ।

अध्याय 10

शास्तियां और प्रतिकर

57. अधिनियम के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्तियां ।

खंड

58. अध्याय 5 के अधीन डाटा स्वामी के अनुरोध के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।
59. रिपोर्ट, विवरणियां, जानकारी आदि, को देने में असफलता के लिए शास्ति ।
60. प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश या आदेश के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।
61. उल्लंघन के लिए शास्ति, जहां पृथक रुप से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है ।
62. न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति ।
63. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया ।
64. प्रतिकर ।
65. अन्य दंड में प्रतिकर या शास्तियों का बाधित न होना ।
66. धनराशि की वसूली ।

अध्याय 11

अपील अधिकरण

67. अपील अधिकरण की स्थापना ।
68. सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, अवधि, सेवा की शर्तें ।
69. रिक्तियां ।
70. अपील अधिकरण के कर्मचारिवृंद ।
71. न्यायपीठों के बीच कामकाज का वितरण ।
72. अपील अधिकरण को अपील ।
73. अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां ।
74. अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का डिक्री के रूप में निष्पाद्य होना ।
75. उच्चतम न्यायालय को अपील
76. विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार ।
77. सिविल न्यायालय की अधिकारिता न होना ।

अध्याय 12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

78. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
79. भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण निधि ।
80. लेखा और संपरीक्षा ।
81. विवरणियां, आदि का केन्द्रीय सरकार को दिया जाना ।

अध्याय 13

अपराध

82. वैयक्तिक डाटा की विपहचान की पुन: पहचान और प्रक्रमण ।
83. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।
84. कंपनियों द्वारा अपराध ।
85. राज्य द्वारा अपराध ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

86. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।
87. सदस्यों, आदि का लोक सेवक होना ।
88. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
89. आय पर कर से छूट ।
90. प्रत्यायोजन ।

खंड

91. अधिनियम में डिजिटल अर्थव्यवस्था, आदि के लिए नीति की विरचना का निवारित न होना ।
92. बायोमैट्रिक डाटा के कतिपय प्ररूपों के प्रक्रमण का वर्जन ।
93. नियम बनाने की शक्ति ।
94. विनियम बनाने की शक्ति ।
95. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
96. इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
97. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
98. 2000 के अधिनियम संख्यांक 21 का संशोधन ।

अनुसूची

2019 का विधेयक संख्यांक 373

[दि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

व्यष्टिकों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाईयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है और सूचनात्मक निजता के एक आवश्यक पहलू के रूप में वैयक्तिक डाटा का संरक्षण आवश्यक है ; और

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास ने व्यक्तियों के बीच संपर्क के समालोचनात्मक साधनों के रूप में डाटा के उपयोग को विस्तारित कर दिया है ;

और एक ऐसी सामूहिक संस्कृति का सृजन करना आवश्यक है जो व्यष्टिकों की सूचनात्मक निजता के संबंध में और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए स्वतंत्र और उचित डिजिटल अर्थव्यवस्था को संजोए रखे और डिजिटल शासन और अंतर्वेशन के माध्यम से सशक्तिकरण, प्रगति और नवीकरण को सुनिश्चित करे ।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अधिनियम का लागू होना ।

2. इस अधिनियम के उपबंध,—

(अ) (क) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे, जहां ऐसे डाटा का भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर संग्रहण, प्रकटन, साझा किया गया है या अन्यथा उसका प्रक्रमण किया गया हो ;

(ख) राज्य, किसी भारतीय कंपनी, किसी भारतीय नागरिक या किसी व्यक्ति या भारतीय विधि के अधीन निगमित या सृजित व्यक्ति निकायों द्वारा वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे ;

(ग) ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा, जो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उपस्थित नहीं है, डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे, यदि ऐसा प्रक्रमण—

(i) भारत में चलाए जाने वाले किसी कारबार के या भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर डाटा स्वामी को माल या सेवाएं देने के किसी व्यवस्थित क्रियाकलाप के संबंध में है ; या

(ii) किसी ऐसे क्रियाकलाप के संबंध में है जिसमें भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर डाटा स्वामी का प्रोफाइलिंग अंतर्वलित है ;

(आ) धारा 91 में निर्दिष्ट अनामी डाटा से भिन्न अनाम डाटा के प्रक्रमण को लागू नहीं होंगे ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में नियुक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(2) वैयक्तिक डाटा के संबंध में "अनामकरण" से वैयक्तिक डाटा को ऐसे

रूप में परिवर्तित या संपरिवर्तित करने की ऐसी अनुक्रमणीय प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें डाटा स्वामी की पहचान नहीं की जा सकती है, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अपरिवर्तनीय मानकों को पूरा करती हो ;

(3) "अनामित डाटा" से ऐसा डाटा अभिप्रेत है जो अनामकरण की प्रक्रिया से गुजरा हो ;

(4) "अपील अधिकरण" से धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित अधिकरण अभिप्रेत है ;

(5) "प्राधिकरण" से धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(6) "स्वचालित साधन" से डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए दिए गए अनुदेशों की प्रतिक्रिया में स्वचालित रूप से प्रवर्तन के लिए समर्थ कोई उपस्कर अभिप्रेत है ;

(7) "बायोमैट्रिक डाटा" से डाटा स्वामी की भौतिक, शारीरिक या व्यवहार संबंधी विशेषताओं के मापन या तकनीकी प्रक्रमण प्रचालनों के परिणामस्वरूप प्राप्त मुखाकृति, अंगुली चिन्ह, आंख की पुतली के स्कैन या कोई अन्य समान वैयक्तिक डाटा अभिप्रेत है जिससे उस नैसर्गिक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान अनुज्ञात या संपुष्ट होती है ;

(8) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;

(9) "व्यवहार संहिता" से धारा 50 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी व्यवहार संहिता अभिप्रेत है ;

(10) "सहमति" से धारा 11 में निर्दिष्ट सहमति अभिप्रेत है ;

(11) "डाटा" के अंतर्गत सूचना, तथ्यों, धारणाओं, डाटा का कोई व्यपदेशन या संसूचना, निर्वचन के लिए रीति में अनुदेश या मानवीय या स्वचालित साधनों द्वारा प्रक्रमण भी है ;

(12) "डाटा संपरीक्षक" से धारा 29 में निर्दिष्ट कोई स्वतंत्र डाटा परीक्षक अभिप्रेत है ;

(13) "डाटा विश्वासी" से कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके अंतर्गत राज्य, कंपनी, कोई विधिक इकाई या कोई व्यष्टि भी है, अभिप्रेत है, जो अकेले या अन्य के संयोजन से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का प्रयोजन और साधन अवधारित करता है ;

(14) "डाटा स्वामी" से ऐसा कोई प्रकृत व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे वैयक्तिक डाटा संबंधित है ;

(15) "डाटा प्रक्रमणकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत राज्य, कंपनी, कोई विधिक इकाई या कोई व्यष्टि भी है, जो डाटा विश्वासी की ओर से डाटा का प्रक्रमण करता है ;

(16) "विपहचान" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता वैयक्तिक डाटा से अभिज्ञाताओं को हटा सकेगा या उसका गोपन कर सकेगा अथवा उन्हें ऐसे अन्य कल्पित नाम या कोड से प्रतिस्थापित कर सकेगा जो उस व्यष्टि के लिए विशिष्ट होगा किंतु उससे डाटा स्वामी की प्रत्यक्ष रूप से पहचान नहीं होगी ;

(17) "आपदा" का वही अर्थ होगा जो आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में उसका है ; 2005 का 53

(18) "वित्तीय डाटा" से डाटा स्वामी द्वारा खोले गए किसी खाते की या उसको किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी किसी कार्ड या संदाय लिखित पहचान हेतु उपयोग की गई संख्या या अन्य वैयक्तिक डाटा या वित्तीय संस्था या डाटा स्वामी के बीच के संबंध की बाबत कोई वैयक्तिक डाटा जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रास्थिति और उधार संबंधी इतिवृत्त भी है, अभिप्रेत है ;

(19) "आनुवंशिक डाटा" से किसी प्रकृत व्यक्ति की वंशागत या अर्जित आनुवंशिक लक्षण अभिप्रेत है जो उस प्रकृत व्यक्ति के व्यवहारिक लक्षण, शरीर विज्ञान या स्वास्थ्य के बारे में विशिष्ट जानकारी देता है और जो, विशिष्टतया, प्रश्नगत प्रकृत व्यक्ति के जैव नमूने के विश्लेषण का परिणाम है ;

(20) "अपहानि" के अंतर्गत निम्नलिखित है—

(i) शारीरिक या मानसिक क्षति ;

(ii) पहचान की हानि, विकृति या चोरी ;

(iii) वित्तीय हानि या संपत्ति की हानि ;

(iv) ख्याति की हानि या अपमान ;

(v) नियोजन की हानि ;

(vi) कोई विभेदकारी व्यवहार ;

(vii) भयादोहन या उद्दापन के प्रति कोई दबाव ;

(viii) डाटा स्वामी के बारे में किसी मूल्यांकित विनिश्चय के परिणामस्वरूप किसी सेवा, फायदे या लाभ का प्रत्याख्यान या उसकी वापसी ;

(ix) संप्रेक्षण या निगरानी के भय से उद्भूत, वाक्, संचलन या किसी अन्य कार्रवाई पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया या सहन किया गया कोई निर्बन्धन ; या

(x) कोई अन्य संप्रेक्षण या निगरानी, जो डाटा स्वामी द्वारा युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित न हो ;

(21) "स्वास्थ्य डाटा" से डाटा स्वामी की शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य प्रास्थिति से संबंधित डाटा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे डाटा स्वामी के, स्वास्थ्य की पुरानी, विद्यमान या भविष्य की प्रास्थिति से संबंधित अभिलेख, स्वास्थ्य सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण या उन्हें उपलब्ध करवाए जाने के दौरान संगृहीत डाटा, विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए डाटा स्वामी से सहबद्ध

डाटा भी है ;

(22) "अंतःसमूह योजनाओं" से धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीमें अभिप्रेत हैं ;

2000 का 21

(23) "लिखित में" के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक प्ररूप में कोई संसूचना भी हैं ;

(24) "पत्रकारिता संबंधी प्रयोजन" से कोई ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो,—

(i) समाचारों, आधुनिक या अद्यतन घटनाओं ; या

(ii) किसी अन्य ऐसी सूचना, जिस पर डाटा विश्वासी का यह विश्वास है कि उसमें जनता या जनता के किसी महत्वपूर्ण विवेकी वर्ग का हित है,

के संबंध में तथ्यपूर्ण रिपोर्टें, विश्लेषण, राय, विचारों या वृत्तचित्रों का मुद्रण, इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से प्रसार आशयित है ;

(25) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तदनुसार "अधिसूचित" पद का अर्थ लगाया जाएगा ;

(26) "शासकीय अभिज्ञाता" से संसद् या किसी राज्य विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि के अधीन डाटा स्वामी को समनुदेशित कोई ऐसी संख्या, कोई कोड या अन्य अभिज्ञाता अभिप्रेत है, जिसका उपयोग किसी डाटा स्वामी की पहचान को सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा ;

(27) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित है—

(i) कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब ;

(iii) कोई कंपनी ;

(iv) कोई फर्म ;

(v) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो ;

(vi) राज्य ; और

(vii) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी उपखंड में नहीं आते हैं ;

(28) "वैयक्तिक डाटा" से किसी ऐसे प्रकृत व्यक्ति के बारे में या उसके संबंध में कोई ऐसे डाटा अभिप्रेत हैं जो ऐसे प्रकृत व्यक्ति के किसी लक्षण, विशेषता गुण या पहचान की किसी अन्य आकृति को या ऐसी आकृति के किसी संयोजन को या किसी अन्य जानकारी के साथ ऐसी आकृतियों के किसी संयोजन को ध्यान में रखते हुए, चाहे आनलाइन या आफलाइन, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पहचानने योग्य है और इसके अंतर्गत प्रोफाइलिंग के प्रयोजन के लिए ऐसे डाटा से निकाला गया कोई निष्कर्ष भी होगा ;

(29) "वैयक्तिक डाटा भंग" से वैयक्तिक डाटा का कोई अप्राधिकृत या आकस्मिक प्रकटन, अर्जन, साझेदारी, उपयोग, परिवर्तन, उस तक पहुंच का क्षय या उसकी हानि अभिप्रेत है जिससे किसी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा की गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता संकटपूर्ण हो जाती है ;

(30) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(31) वैयक्तिक डाटा के संबंध में "प्रक्रमण" से वैयक्तिक डाटा पर की गई कोई संक्रिया या संक्रियाओं का संवर्ग अभिप्रेत है और इसमें पारेषण, विकीर्णन द्वारा संग्रहण, रिकार्डिंग, विरचना, निर्माण, भंडारण, अनुकूलन, परिवर्तन, सुधार, उपयोग, संरेखण या संयोजन, अनुक्रमण, प्रकटन या अन्यथा उपलब्ध करवाना, निर्बन्धन, उद्घर्षण या नाशकरण को भी सम्मिलित किया जा सकेगा ;

(32) "प्रोफाइलिंग" से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का कोई ऐसा प्ररूप अभिप्रेत है जो किसी डाटा स्वामी के व्यवहार, गुणों या अभिरुचियों से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण या भविष्यवाणी करता है ;

(33) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(34) "पुनः पहचान" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता वि-पहचान की प्रक्रिया को उलट सकेगा ;

(35) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(36) "संवेदनशील वैयक्तिक डाटा" से ऐसा वैयक्तिक डाटा अभिप्रेत है जिससे निम्नलिखित को प्रकट किया जा सके, जो उसके संबंध में हो, या उसका गठन करें—

(i) वित्तीय डाटा ;

(ii) स्वास्थ्य डाटा ;

(iii) शासकीय अभिज्ञाता ;

(iv) लैंगिक जीवन ;

(v) लैंगिक अभिविन्यास ;

(vi) बायोमैट्रिक डाटा ;

(vii) आनुवंशिक डाटा ;

(viii) उभयलिंगी प्रास्थिति ;

(ix) मध्यलिंगी प्रास्थिति ;

(x) जाति या जनजाति ;

(xi) धार्मिक या राजनैतिक विश्वास या संबंध ; या

(xii) धारा 15 के अधीन संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में प्रवर्गीकृत कोई अन्य डाटा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(क) "मध्यलिंगी प्रास्थिति" पद से ऐसे डाटा स्वामी की स्थिति अभिप्रेत है, जो—

(i) स्त्री और पुरुष का संयोजन है ;

(ii) न तो पूर्णतः स्त्री है और न ही पूर्णतः पुरुष है ; या

(iii) न तो स्त्री है न ही पुरुष ;

(ख) "उभयलिंगी प्रास्थिति" पद से डाटा स्वामी की ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसका लिंग उस डाटा स्वामी के जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता है चाहे उनका लिंग पुनः निर्धारण शल्यक्रिया, हार्मोन चिकित्सा, लेजर चिकित्सा या उस प्रकार की कोई अन्य चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा किया गया हो या नहीं ;

(37) "महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी" से धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई डाटा विश्वासी अभिप्रेत है ;

(38) "महत्वपूर्ण हानि" से ऐसी हानि अभिप्रेत है, जिसके प्रक्रमण हो जाने पर वैयक्तिक डाटा की प्रकृति, हानि का समाघात, निरंतरता, स्थिरता या अपरिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए गुरूतर परिणाम होते है ;

(39) "राज्य" से संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन यथापरिभाषित राज्य अभिप्रेत है ;

(40) "व्यवस्थित क्रियाकलाप" से ऐसा संरचित या संगठित क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसमें योजना, पद्धति, निरंतरता या स्थिरता का कोई तत्व अंतर्वलित हो ।

अध्याय 2

डाटा विश्वासी की बाध्यताएं

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का प्रतिषेध ।

4. किसी व्यक्ति द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट, स्पष्ट और विधिपूर्ण प्रयोजन के सिवाय, किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण नहीं किया जाएगा ।

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन पर निर्बन्धन ।

5. किसी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण—

(क) उचित और युक्तियुक्त रीति में करेगा और डाटा स्वामी की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा ; और

(ख) डाटा स्वामी द्वारा सहमत प्रयोजन के लिए या जो ऐसे प्रयोजन के आनुषंगिक या उससे संबद्ध हो, के लिए और जिसकी डाटा स्वामी ने युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की है कि ऐसे वैयक्तिक डाटा का उपयोग प्रयोजन और ऐसे प्रक्रम और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें वैयक्तिक डाटा का संग्रहण किया गया था, के लिए करेगा ।

वैयक्तिक डाटा के संग्रहण पर निर्बन्धन ।

6. वैयक्तिक डाटा का संग्रहण केवल उस विस्तार तक किया जाएगा, जो वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो ।

वैयक्तिक डाटा के संग्रहण या प्रक्रमण के लिए सूचना की अपेक्षा ।

7. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, डाटा स्वामी को, वैयक्तिक डाटा के संग्रहण के समय या यदि डाटा स्वामी से डाटा का संग्रहण नहीं किया जाता है तो युक्तियुक्त तौर पर यथासाध्य निम्नलिखित जानकारी से युक्त एक सूचना देगा, अर्थात् :—

(क) प्रयोजन, जिनके लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जाना है ;

(ख) संगृहीत किए जा रहे वैयक्तिक डाटा की प्रकृति और प्रवर्ग ;

(ग) डाटा विश्वासी की पहचान और संपर्क ब्यौरे और डाटा सुरक्षा अधिकारी के संपर्क ब्यौरे, यदि लागू हों ;

(घ) डाटा स्वामी का अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार और ऐसी वापसी की प्रक्रिया यदि वैयक्तिक डाटा का सहमति के आधार पर प्रक्रमण आशयित है ;

(ङ) ऐसे प्रक्रमण का आधार और ऐसा वैयक्तिक डाटा उपलब्ध करवाने में असफल रहने के परिणाम, यदि वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण धारा 12 से धारा 14 में विनिर्दिष्ट आधारों पर आधारित है ;

(च) ऐसे संग्रहण का स्त्रोत, यदि वैयक्तिक डाटा का संग्रहण डाटा स्वामी से नहीं किया जाता है ;

(छ) अन्य डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता सहित व्यष्टि या इकाइयां , जिनके साथ ऐसा वैयक्तिक डाटा साझा किया जा सकेगा, यदि लागू हो ;

(ज) ऐसे वैयक्तिक डाटा के, जिसे डाटा विश्वासी का कार्यान्वित करने का आशय है, किसी सीमा पार अंतरण के संबंध में सूचना ;

(झ) ऐसी अवधि, जिसके लिए वैयक्तिक डाटा को धारा 9 के निबंधनानुसार प्रतिधारित किया जाएगा या जहां ऐसी अवधि ज्ञात नहीं है वहां ऐसी अवधि के अवधारण के लिए मापदंड ;

(ञ) अध्याय 5 में वर्णित अधिकारों की विद्यमानता और उनके प्रयोग की प्रक्रिया तथा उसके लिए कोई संबंधित संपर्क ब्यौरे ;

(ट) धारा 32 के अधीन शिकायत प्रतितोषण की प्रक्रिया ;

(ठ) प्राधिकरण को शिकायत फाइल करने संबंधी अधिकार की विद्यमानता ;

(ड) जहां लागू हों, डाटा विश्वसनीयता स्कोर के रूप में कोई रेटिंग, जो धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन डाटा विश्वासी को समनुदेशित की जा सके ; और

(ढ) कोई अन्य जानकारी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध में निर्दिष्ट सूचना स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में होगी और जो युक्तियुक्त व्यक्ति के लिए सुगमता से बोधगम्य हो और जहां आवश्यक और व्यवहार्य हो, बहुभाषाओं में होगी ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां ऐसी सूचना का धारा 12 के अधीन वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण के प्रयोजन पर सारभूत रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हों ।

प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की क्वालिटी ।

8. (1) डाटा विश्वासी, ऐसे प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए उसका प्रक्रमण किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा कि प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा पूर्ण, यथार्थ, भ्रमित न करने वाला और अद्यतन हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करते समय डाटा विश्वासी निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा कि क्या,—

(क) डाटा स्वामी के बारे में कोई विनिश्चय करने के लिए वैयक्तिक डाटा के उपयोग किए जाने की संभावना है ;

(ख) वैयक्तिक डाटा के अन्य डाटा विश्वासियों या प्रक्रमणकर्ताओं सहित अन्य व्यष्टियों या इकाईयों को प्रकट करने की संभावना है ;

(ग) वैयक्तिक डाटा ऐसे प्ररूप में रखा गया है जो रायों या वैयक्तिक निर्धारणों पर आधारित वैयक्तिक डाटा से तथ्यों पर आधारित वैयक्तिक डाटा से सुभिन्न है ।

(3) जहां वैयक्तिक डाटा का प्रकटन अन्य डाटा विश्वासी या प्रक्रमणकर्ता सहित किसी अन्य व्यष्टि या इकाई को किया जाता है और डाटा विश्वासी का यह निष्कर्ष है कि ऐसे डाटा में उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है, वहां डाटा विश्वासी, इस तथ्य के ऐसे व्यष्टि या इकाई को अधिसूचित करने के लिए युक्तियुक्त उपाय करेगा ।

वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण पर निर्बन्धन ।

9. (1) डाटा विश्वासी, उस प्रयोजन को, जिसके लिए उसका प्रक्रमण किया जाता है, पूरा करने की आवश्यक अवधि के पश्चात् किसी वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण नहीं करेगा और प्रक्रमण के अंत में वैयक्तिक डाटा को हटा देगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी वैयक्तिक डाटा का लंबी अवधि के लिए प्रतिधारण किया जा सकेगा, यदि डाटा स्वामी द्वारा स्पष्ट सहमति दी गई हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी बाध्यता के पालन के लिए आवश्यक हो ।

(3) डाटा विश्वासी यह अवधारित करने के लिए कि उसके कब्जे में का वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण आवश्यक है, कालिक पुनर्विलोकन करेगा ।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण किया जाना आवश्यक नहीं है वहां ऐसे वैयक्तिक डाटा को ऐसी रीति से निकाल दिया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

डाटा विश्वासी की उत्तरदेयता ।

10. डाटा विश्वासी, उसके द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी प्रक्रमण के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति का आवश्यक होना ।

11. (1) वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण, डाटा स्वामी द्वारा उसके प्रक्रमण के प्रारंभ पर दी गई सहमति के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(2) डाटा स्वामी की सहमति तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक ऐसी सहमति,—

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट मानक के अनुपालन में, स्वतंत्र सहमति न हो ; 1872 का 9

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या डाटा स्वामी को धारा 7 के

अधीन अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाई गई है, अवगत की गई न हो ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या डाटा स्वामी प्रक्रमण के प्रयोजन के संबंध में सहमति की व्याप्ति का अवधारण कर सकता है, विनिर्दिष्ट सहमति न हो ;

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या उसे ऐसी प्रतिज्ञान कार्रवाई के माध्यम से, जो दिए गए संदर्भ में अर्थपूर्ण है, उपदर्शित किया गया है, स्पष्ट सहमति न हो ; और

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसी वापसी की सुविधा ऐसी सुविधा के सदृश है जिसके संबंध में सहमति दी गई, वापस लिए जाने योग्य न हो ।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त, किसी संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध में डाटा स्वामी की सहमति—

(क) उसे प्रक्रमण का प्रयोजन या उसकी ऐसी संक्रिया के बारे में, जिससे डाटा स्वामी को महत्वपूर्ण हानि होने की संभावना है, सूचित करने के पश्चात् ;

(ख) किसी संदर्भ में कार्य संचालन से निकाले गए निष्कर्ष का अवलंब लिए बिना स्पष्ट निर्बन्धनों में ; और

(ग) उसे, प्रक्रमण के लिए सुसंगत संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के विभिन्न प्रवर्गों के प्रयोजनों, उनकी संक्रियाओं और उपयोग के लिए सहमति देने का पृथक् रूप से चुनाव करने के पश्चात्,

सुस्पष्ट रूप से अभिप्राप्त की जाएगी ।

(4) किसी माल या सेवाओं या उनकी क्वालिटी के या किसी संविदा के पालन के या किसी विधिक अधिकार या दावे के उपभोग के उपबंध को, ऐसे किसी वैयक्तिक डाटा के, जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है, प्रक्रमण के लिए सहमति पर, सशर्त नहीं होगा ।

(5) इस सबूत का भार कि इस धारा के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति डाटा स्वामी द्वारा दी गई है, डाटा विश्वासी पर होगा ।

(6) जहां डाटा स्वामी किसी विधिमान्य कारण के बिना किसी वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अपनी सहमति वापस ले लेता है वहां ऐसी वापसी को प्रभावी बनाने के लिए सभी विधिक परिणाम ऐसे डाटा स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

अध्याय 3

सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार

कतिपय मामलों में सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार ।

12. धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जा सकेगा, यदि ऐसा प्रक्रमण,—

(क) राज्य के किसी ऐसे कृत्य के पालन के लिए आवश्यक है, जो विधि द्वारा—

(i) राज्य से डाटा स्वामी के लिए किसी सेवा या फायदे के उपबंध के लिए; या

(ii) डाटा स्वामी के किसी कृत्य या कार्यकलाप के लिए राज्य द्वारा कोई प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ;

(ख) संसद् या राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ; या

(ग) भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी आदेश या निर्णय के अनुपालन में आवश्यक है ;

(घ) किसी ऐसे चिकित्सा आपात की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है जिसमें डाटा स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का भय या स्वास्थ्य के प्रति घोर आशंका अंतर्वलित है ;

(ङ) किसी महामारी, रोग के प्रादुर्भाव या लोक स्वास्थ्य के प्रति किसी अन्य आशंका के दौरान किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु कोई उपाय करने के लिए आवश्यक है ; या

(च) किसी आपदा या लोक व्यवस्था के भंग हो जाने के दौरान किसी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने या उसको सहायता या सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई उपाय करने के लिए आवश्यक है ।

नियोजन, आदि से संबंधित प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का आवश्यक होना ।

13. (1) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जो संवेदनशील डाटा नहीं है, प्रक्रमण किया जा सकेगा, यदि ऐसा प्रक्रमण—

(क) डाटा विश्वासी द्वारा किसी डाटा स्वामी की भर्ती या उसके नियोजन के पर्यवसान के लिए आवश्यक है ;

(ख) ऐसे डाटा स्वामी को, जो डाटा विश्वासी का कर्मचारी है, कोई सेवा या उसके द्वारा ईप्सित फायदा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक है ;

(ग) ऐसे डाटा स्वामी की उपस्थिति को, जो डाटा विश्वासी का कर्मचारी है, सत्यापित करने के लिए आवश्यक है ; या

(घ) ऐसे डाटा स्वामी के, जो डाटा विश्वासी का कर्मचारी है, कार्यपालन के निर्धारण से संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए आवश्यक है ।

(2) किसी ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जो संवेदनशील वैयक्तिक डाटा नहीं है, उक्त उपधारा (1) के अधीन प्रक्रमण किया जा सकेगा, जहां डाटा विश्वासी और डाटा स्वामी के बीच के नियोजन संबंध को ध्यान में रखते हुए डाटा स्वामी की सहमति समुचित नहीं है या उसमें उस उपधारा के अधीन प्रक्रमण की प्रकृति के कारण डाटा विश्वासी की ओर से कोई अननुपातिक प्रयास अंतर्वलित होगा ।

अन्य युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।

14. (1) धारा 12 और धारा 13 के अधीन निर्दिष्ट आधारों के अतिरिक्त, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण धारा 11 के अधीन सहमति अभिप्राप्त किए बिना किया जा सकेगा यदि ऐसा प्रक्रमण निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् ऐसे युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, आवश्यक है,—

(क) उस प्रयोजन के लिए प्रक्रमण में डाटा विश्वासी का हित ;

(ख) क्या डाटा विश्वासी से डाटा स्वामी की सहमति अभिप्राप्त करने की

युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है ;

(ग) उस प्रयोजन के लिए प्रक्रमण में कोई लोक हित ;

(घ) डाटा स्वामी के अधिकारों पर प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों का प्रभाव ; और

(ङ) प्रक्रमण के प्रक्रम को ध्यान में रखते हुए डाटा स्वामी की युक्तियुक्त प्रत्याशाएं ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए "युक्तियुक्त प्रयोजन" पद में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकेगा—

(क) कपट सहित किसी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप का निवारण करना और उसका पता लगाना ;

(ख) सूचना प्रदान करना ;

(ग) विलयन और अर्जन ;

(घ) नेटवर्क और सूचना सुरक्षा ;

(ङ) प्रत्यय गुणांकन ;

(च) ऋण की वसूली ;

(छ) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ; और

(ज) तलाशी संबंधी साधनों की संक्रियाएं ।

(3) जहां प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन युक्तियुक्त प्रयोजन विनिर्दिष्ट करता है, वहां वह—

(क) विनियमों द्वारा ऐसे रक्षोपायों को अधिकथित करेगा, जो डाटा स्वामियों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए समुचित हो ; और

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्या ऐसा उपबंध सुसंगत युक्तियुक्त प्रयोजन से सारतः प्रतिकूल होगा, यह अवधारित करेगा कि धारा 7 के अधीन सूचना का उपबंध कहां लागू होगा या कहां लागू नहीं होगा ।

वैयक्तिक डाटा का संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में प्रवर्गीकरण ।

15. (1) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण और संबंधित क्षेत्रीय विनियामक के परामर्श से निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, वैयक्तिक डाटा के ऐसे प्रवर्गों को संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में अधिसूचित कर सकेगा—

(क) महत्वपूर्ण अपहानि का जोखिम, जो वैयक्तिक डाटा के ऐसे प्रवर्ग के प्रक्रमण द्वारा डाटा स्वामी को हो सकेगा ;

(ख) वैयक्तिक डाटा के ऐसे प्रवर्ग से संलग्न गोपनीयता की प्रत्याशा ;

(ग) क्या वैयक्तिक डाटा के ऐसे प्रक्रमण से डाटा स्वामियों के महत्वपूर्ण रूप से विवेचनीय वर्ग को उल्लेखनीय अपहानि झेलनी पड़ेगी ; और

(घ) वैयक्तिक डाटा को लागू साधारण उपबंधों द्वारा दिए गए संरक्षण की पर्याप्तता ।

(2) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, ऐसे वैयक्तिक डाटा की रूपरेखा बनाने के लिए संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के पुनरावृत्त, निरंतर या व्यवस्थित संग्रहण प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त रक्षोपाय या निर्बन्धन विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

अध्याय 4

बालकों का वैयक्तिक डाटा और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा

बालकों के वैयक्तिक डाटा और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।

16. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, किसी बालक के वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण ऐसी रीति में करेगा जो बालक के अधिकारों का संरक्षण करे और जो उसके सर्वोत्तम हितों में हो ।

(2) डाटा विश्वासी, बालक के किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने के पूर्व, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी आयु का सत्यापन करेगा और उसके माता या पिता अथवा संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन बालक की आयु के सत्यापन की रीति, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी—

(क) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की मात्रा ;

(ख) ऐसे वैयक्तिक डाटा का अनुपात, जिसमें उस बालक के होने की संभावना है ;

(ग) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से उद्भूत बालक में होने वाली अपहानि की संभावना ; और

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जाएं ।

(4) प्राधिकरण विनियमों द्वारा ऐसे डाटा विश्वासी को संरक्षक डाटा विश्वासी के रूप में वर्गीकृत करेगा, जो—

(क) बालकों पर निदेशित आनलाइन सेवाओं या वाणिज्यिक वेबसाइटों का संचालन करता हो ; या

(ख) बालकों के वैयक्तिक डाटा का बड़े पैमाने पर प्रक्रमण करता हो ।

(5) संरक्षक डाटा विश्वासी, बालकों की प्रोफाइलिंग, पता लगाने या व्यवहार संबंधी मानीटरी या उन्हें निदेशित लक्ष्यित सूचना देने से और ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जिससे बालक को महत्वपूर्ण हानि हो सकती है, कोई अन्य प्रक्रमण करने से वर्जित होगा ।

(6) उपधारा (5) के उपबंध किसी बालक की काउंसलिंग या बाल संरक्षण सेवाओं की प्रस्थापना करने वाले डाटा विश्वासी को ऐसे उपांतरित प्ररूप में लागू होंगे जैसा कि अधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(7) किसी बालक की अनन्य काउंसलिंग या बाल संरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संरक्षक डाटा विश्वासी को उपधारा (2) के अधीन बालक के माता-पिता या संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संरक्षक डाटा विश्वासी" पद से उपधारा (4) के अधीन संरक्षक डाटा के रूप में वर्गीकृत डाटा विश्वासी अभिप्रेत है ।

अध्याय 5

डाटा स्वामी के अधिकार

पुष्टि और पहुंच का अधिकार ।

17. (1) डाटा स्वामी को डाटा विश्वासी से—

(क) इस बात की पुष्टि अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा कि क्या डाटा विश्वासी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण कर रहा है या प्रक्रमण किया है ;

(ख) प्रक्रमणित या डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए डाटा स्वामी का वैयक्तिक डाटा या उसका कोई संक्षिप्त विवरण अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा ;

(ग) डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा के संबंध में डाटा विश्वासी द्वारा किए गए प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रक्रमण के संबंध में धारा 7 की सूचना में उपलब्ध कोई जानकारी भी है, अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) डाटा विश्वासी, डाटा स्वामी को स्पष्ट और ऐसी रीति में, जो किसी युक्तियुक्त व्यक्ति के लिए आसानी से बोधगम्य हो, उपधारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाएगा ।

(3) डाटा स्वामी को, ऐसे डाटा विश्वासियों की पहचान के एक स्थान पर पहुंच बनाने का अधिकार होगा, जिनके पास किसी डाटा विश्वासी द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसका वैयक्तिक डाटा उनके साथ साझा किए गए वैयक्तिक डाटा के प्रवर्गों के साथ साझा किया गया है ।

संशोधन और मिटाने का अधिकार ।

18. (1) डाटा स्वामी को, जहां कहीं आवश्यक हो, उन प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जा रहा है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित का अधिकार होगा—

(क) अशुद्ध या भ्रामक वैयक्तिक डाटा का संशोधन करना ;

(ख) अपूर्ण वैयक्तिक डाटा को पूर्ण करना ; और

(ग) अप्रचलित वैयक्तिक डाटा को अद्यतन करना ; और

(घ) ऐसे वैयक्तिक डाटा को हटाना जो अब उस प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं रह गया है, जिसके लिए इसका प्रक्रमण किया गया था ।

(2) जहां डाटा विश्वासी को उपधारा (1) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होता है, और डाटा विश्वासी प्रक्रमण के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा संशोधन करने, पूर्ण करने, अद्यतन करने या हटाने से सहमत नहीं है, वहां ऐसा डाटा विश्वासी डाटा स्वामी को लिखित में आवेदन अस्वीकृत करने के लिए यथोचित न्यायोचितता उपलब्ध कराएगा ।

(3) जहां डाटा स्वामी का उपधारा (2) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा दी गई न्यायोचितता से समाधान नहीं होता है, वहां डाटा स्वामी यह अपेक्षा कर सकेगा कि डाटा विश्वासी सुसंगत वैयक्तिक डाटा के साथ यह उपदर्शित करने के लिए युक्तियुक्त कदम

उठाए कि वह डाटा स्वामी द्वारा विवादित है ।

(4) जहां डाटा विश्वासी, उपधारा (1) के अनुसार किसी वैयक्तिक डाटा में संशोधन करता है, उसे पूर्ण अद्यतन करता है या उसे हटाता है वहां ऐसा डाटा विश्वासी ऐसी सभी सुसंगत इकाइयों या व्यष्टियों को अधिसूचित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएगा, जिन्हें सुसंगत संशोधन करने, पूर्ण करने, अद्यतन करने या हटाने के संबंध में ऐसे वैयक्तिक डाटा को प्रकट किया गया हो विशिष्टतया वहां, जहां ऐसी कार्रवाई का डाटा स्वामी के अधिकारों और हितों या उनके संबंध में किए गए विनिश्चयों पर प्रभाव पड़ता हो ।

डाटा सुवाह्यता का अधिकार ।

19. (1) जहां प्रक्रमण स्वचालित साधनों के माध्यम से किया गया है वहां डाटा स्वामी को—

(क) निम्नलिखित वैयक्तिक डाटा सुसंरचित, सामान्यतया प्रयोग युक्त और मशीन पठनीय प्ररूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा—

(i) डाटा विश्वासी को उपलब्ध करवाया गया वैयक्तिक डाटा ;

(ii) ऐसा डाटा जो सेवाओं के उपबंध के दौरान या डाटा विश्वासी द्वारा माल के उपयोग द्वारा जनित हुआ है ; या

(iii) ऐसा डाटा जो डाटा स्वामी के किसी प्रोफाइल का भाग है या जिसे डाटा विश्वासी ने अन्यथा प्राप्त किया है ; और

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट वैयक्तिक डाटा उस खंड में निर्दिष्ट प्ररूप में किसी अन्य डाटा विश्वासी को अंतरित करने का अधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां—

(क) धारा 12 के अधीन प्रक्रिया राज्य के कृत्यों के लिए या विधि के अनुपालन में या न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक है ;

(ख) उपधारा (1) में अनुरोध के अनुपालन से किसी डाटा विश्वासी के व्यापार की गुप्तता प्रकट होगी या तकनीकी रूप से साध्य नहीं होगा ।

क्षमा किए जाने का अधिकार ।

20. (1) डाटा स्वामी को डाटा विश्वासी द्वारा उसके वैयक्तिक डाटा को निर्बंधित करने या उसके लगातार प्रकटन को रोकने का अधिकार होगा, जहां—

(क) ऐसे प्रकटन से वह प्रयोजन पूर्ण हो गया है जिसके लिए उसे संग्रहित किया गया था या वह उन प्रयोजनों के लिए अब और आवश्यक नहीं है ;

(ख) ऐसा प्रकटन धारा 11 के अधीन डाटा स्वामी की सहमति से किया गया था और अब ऐसी सहमति वापस ले ली गई है ; या

(ग) ऐसा प्रकटन इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के प्रतिकूल किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकार, डाटा स्वामी द्वारा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, फाइल किए गए आवेदन पर केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश पर उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधारों पर प्रवृत्त किए जा सकेंगे :

परंतु इस उपधारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक

डाटा स्वामी द्वारा यह दर्शित नहीं किया जाता कि उसके वैयक्तिक डाटा के निरंतर प्रकटन को रोकने या निर्बंधित करने का उसका अधिकार या हित किसी अन्य नागरिक के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार या सूचना के अधिकार से अध्यारोही नहीं है ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (2) के अधीन आदेश करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखेगा—

(क) वैयक्तिक डाटा की संवेदनशीलता ;

(ख) प्रकटन का मापदंड और निर्बंधित या निवारित किए जाने हेतु ईप्सित पहुंच की मात्रा ;

(ग) लोक जीवन में डाटा स्वामी की भूमिका ;

(घ) जनसाधारण के लिए वैयक्तिक डाटा की सुसंगतता ; और

(ङ) प्रकटन और डाटा विश्वासी के क्रियाकलापों की प्रकृति विशिष्टतया क्या डाटा विश्वासी सुव्यवस्थित रूप से वैयक्तिक डाटा तक पहुंच को सुकर बनाता है और यदि सुसंगत प्रकृति के प्रकटनों को निर्बंधित या रोका गया तो क्या क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण रूप से बाधा पहुंचेगी ।

(4) जहां किसी व्यक्ति का यह निष्कर्ष है कि ऐसा वैयक्तिक डाटा, जिसका प्रकटन उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश द्वारा निर्बंधित या रोका गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता, वहां वह ऐसी रीति में जो विहित की जाए न्यायनिर्णायक अधिकारी के उस आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने आदेश का पुनर्विलोकन करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

इस अध्याय में अधिकारों के प्रयोग के लिए साधारण शर्तें ।

21. (1) डाटा स्वामी, धारा 20 के अधीन अधिकार के सिवाय इस अध्याय के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी पहचान के संबंध में आवश्यक जानकारी के साथ प्रत्यक्ष रूप से या सहमति प्रबंधक लिखित में डाटा विश्वासी को आवेदन करेगा और डाटा विश्वासी ऐसी अवधि के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे आवेदन की प्राप्ति को अभिस्वीकृत करेगा ।

(2) डाटा विश्वासी, उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुरोध के अनुपालन के लिए ऐसी फीस वसूल कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) अथवा धारा 18 में निर्दिष्ट अधिकारों के संबंध में किसी अनुरोध के लिए कोई फीस अपेक्षित नहीं होगी ।

(3) डाटा विश्वासी, इस अध्याय के अधीन अनुरोध का अनुपालन करेगा और ऐसी अवधि के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, डाटा स्वामी को उसकी संसूचना देगा ।

(4) जहां डाटा विश्वासी द्वारा इस अध्याय के अधीन किया गया कोई अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाता है वहां वह, डाटा स्वामी को लिखित में ऐसी अस्वीकृति के कारण बताएगा और डाटा स्वामी को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जो

विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अस्वीकृत करने के विरुद्ध प्राधिकारी को शिकायत फाइल करने के अधिकार के संबंध में सूचित करेगा ।

(5) डाटा विश्वासी वहां इस अध्याय के अधीन किसी अनुरोध का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा जहां ऐसे अनुपालन से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य डाटा स्वामी के अधिकारों को क्षति हो ।

अध्याय 6

पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी उपाय

डिजाइन नीति द्वारा निजता ।

22. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए डिजाइन द्वारा एक निजता नीति तैयार करेगा—

(क) डाटा स्वामी का पूर्वानुमान, पहचान करने और अपहानि से बचाने के लिए डिजाइन किए गए प्रबंधकीय, संगठनात्मक, कारबार व्यवहार और तकनीकी तंत्र ;

(ख) डाटा विश्वासियों की बाध्यताएं ;

(ग) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक रूप से स्वीकृत या प्रमाणित मानकों के अनुसार हो ;

(घ) कारबारों के विधि संगत हित जिसके अंतर्गत कोई नवाचार भी है, निजता हितों से समझौता किए बिना प्राप्त किए गए हों ;

(ङ) संग्रहण बिंदु से लेकर वैयक्तिक डाटा को हटाने तक संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान निजता का संरक्षण ;

(च) वैयक्तिक डाटा का पारदर्शी रीति में प्रक्रमण ; और

(छ) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रत्येक प्रक्रम पर डाटा स्वामी के हित का ध्यान रखना ।

(2) डाटा विश्वासी, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के अधीन तैयार डिजाइन नीति द्वारा अपनी निजता प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह समाधान होने पर कि उसने उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन किया है, डिजाइन द्वारा निजता नीति को प्रमाणित करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रमाणित डिजाइन द्वारा निजता नीति डाटा विश्वासी और प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में पारदर्शिता ।

23. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, वैयक्तिक डाटा को प्रक्रमण करने में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और निम्नलिखित सूचना ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में उपलब्ध करवाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए—

(क) साधारण रूप से संग्रहित वैयक्तिक डाटा के प्रवर्ग और ऐसे संग्रहण की रीति ;

(ख) वे प्रयोजन जिनके लिए साधारणतया वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जाता है ;

(ग) आपवादिक स्थितियों में प्रक्रमणिक वैयक्तिक डाटा के कोई प्रवर्ग या प्रक्रमण करने के कोई आपवादिक प्रयोजन जिनसे महत्वपूर्ण अपहानि के जोखिम का सृजन हो ;

(घ) अध्याय 5 के अधीन डाटा स्वामी का अस्तित्व और उसके अधिकारों के प्रयोग की प्रक्रिया तथा उसके लिए कोई संबंधित संपर्क ब्यौरे ;

(ङ) प्राधिकरण को डाटा विश्वासी के विरुद्ध शिकायत फाइल करने का डाटा स्वामी का अधिकार ;

(च) जहां लागू हो, डाटा विश्वास के हिसाब के रूप में कोई रेटिंग जो धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन डाटा विश्वासी को दी जा सके ;

(छ) जहां लागू हो, वैयक्तिक डाटा के सीमापार ऐसे अंतरण के संबंध में सूचना जो डाटा विश्वासी साधारण रूप से करता है ; और

(ज) कोई अन्य सूचना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) डाटा विश्वासी, समय-समय पर ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, डाटा स्वामी से संबंधित वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण करने संबंधी महत्वपूर्ण संक्रियाओं के बारे में अधिसूचित करेगा ।

(3) डाटा स्वामी, सहमति प्रबंधक के माध्यम से डाटा विश्वासी को अपनी सहमति दे सकेगा या उसे वापस ले सकेगा ।

(4) जहां डाटा स्वामी, किसी सहमति प्रबंधक के माध्यम से डाटा विश्वासी को सहमति देता है या उसे वापस लेता है वहां ऐसी सहमति या उसकी वापसी डाटा स्वामी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित की गई समझी जाएगी ।

(5) उपधारा (3) के अधीन सहमति प्रबंधक को, ऐसी रीति से और ऐसी तकनीकी, संक्रियात्मक, वित्तीय और अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सहमति प्रबंधक" एक ऐसा डाटा विश्वासी है जो डाटा स्वामी को, सुगम्य, पारदर्शी और उत्तरव्यवहार्य मंच के माध्यम से अपनी सहमति देने, वापस लेने, पुनर्विलोकन करने और नियंत्रित करने के लिए समर्थ बनाता है ।

सुरक्षा रक्षोपाय ।

24. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की प्रकृति, विस्तार और प्रयोजन, ऐसे प्रक्रमण से जुड़े हुए जोखिमों और अपहानि की संभावना तथा तीव्रता जो ऐसे प्रक्रमण का परिणाम हो सकती है, को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षा रक्षोपाय कार्यान्वित करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(क) अपहचान और कूटकरण जैसी पद्धतियों का उपयोग ;

(ख) वैयक्तिक डाटा की निष्ठा को संरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम ; और

(ग) वैयक्तिक डाटा के दुरुपयोग, अप्राधिकृत पहुंच, उपांतरण, प्रकटन और

नष्ट करने से रोकने के लिए आवश्यक कदम ।

(2) प्रत्येक डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवधिक रूप से अपने सुरक्षा रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करेगा तथा तदनुसार समुचित उपाय करेगा ।

वैयक्तिक डाटा भंग की रिपोर्ट करना ।

25. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी प्राधिकरण को सूचना द्वारा डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए किसी वैयक्तिक डाटा के भंग के बारे में संसूचित करेगा, जहां ऐसे भंग से किसी डाटा स्वामी को अपहानि होने की संभावना है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे वैयक्तिक डाटा की प्रकृति जो भंग का विषय है ;

(ख) भंग द्वारा प्रभावित डाटा स्वामियों की संख्या ;

(ग) ऐसे भंग के संभावित परिणाम ; और

(घ) डाटा विश्वासी द्वारा भंग का उपचार करने के लिए की गई कार्रवाई ।

(3) डाटा विश्वासी द्वारा, भंग के पश्चात, किसी ऐसी अवधि की, जो भंग के उपचार या किसी तात्कालिक अपहानि को कम करने के लिए अपेक्षित हो, गणना करने के पश्चात् यथा संभवशीघ्र और ऐसी अवधि के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना देगा ।

(4) जहां एक ही समय पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी जानकारी उपलब्ध करना संभव नहीं है वहां डाटा विश्वासी, प्राधिकरण को बिना असम्यक् विलम्ब के हिस्सों में ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाएगा ।

(5) प्राधिकरण सूचना की प्राप्ति पर यह अवधारित करेगा कि क्या डाटा विश्वासी द्वारा डाटा स्वामी को, ऐसी अपहानि की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो ऐसे डाटा स्वामी को हो सकती है, ऐसे भंग की रिपोर्ट की जानी चाहिए या क्या ऐसी अपहानि को कम करने के लिए डाटा स्वामी की ओर से कोई कार्रवाई अपेक्षित है ।

(6) प्राधिकरण, उपधारा (5) के अधीन डाटा विश्वासी से डाटा स्वामी को वैयक्तिक डाटा भंग की रिपोर्ट करने की अपेक्षा के अतिरिक्त, डाटा विश्वासी को यथासंभव शीघ्र समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए तथा वैयक्तिक डाटा भंग के ब्यौरे उसकी वेबसाइट पर दृश्यमान रूप से प्रकाशित करने का निदेश दे सकेगा ।

(7) इसके अतिरिक्त प्राधिकरण भी अपनी वेबसाइट पर वैयक्तिक डाटा भंग के ब्यौरे प्रकाशित करेगा ।

डाटा विश्वासियों का महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में वर्गीकरण ।

26. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों के वर्ग को महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में अधिसूचित करेगा अर्थात् :—

(क) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा का आकार ;

(ख) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की संवेदनशीलता ;

(ग) डाटा विश्वासी का आवर्त ;

(घ) डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण द्वारा अपहानि का जोखिम ;

(ङ) प्रक्रमण के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग ; और

(च) ऐसे प्रक्रमण से अपहानि पहुंचाने वाला कोई अन्य कारक ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों का वर्ग ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को प्राधिकरण के समक्ष रजिस्टर करेगा ।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकरण की यह राय है कि किसी डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों के वर्ग द्वारा किसी प्रक्रमण से किसी डाटा स्वामी को महत्वपूर्ण अपहानि का जोखिम है तो वह, अधिसूचना द्वारा ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासी के वर्ग को धारा 27 से धारा 30 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं बाध्यताओं को ऐसे लागू करेगा मानों वह एक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी है ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण की परामर्श से किसी सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती को,—

(i) ऐसी उपरोक्त सीमा के उपयोग से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण की परामर्शी से अधिसूचित की जाए ; और

(ii) जिसके कार्य का, निर्वाचन लोकतंत्र, राज्य की सुरक्षा, भारत की लोक व्यवस्था या प्रभुता और अखंडता पर महत्वपूर्ण आधात होगा या होने की संभावना है,

अधिसूचित करेगी :

परन्तु सामाजिक मीडिया मध्यवर्तियों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न सीमाए अधिसूचित की जा सकेंगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कोई "सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती" ऐसा मध्यवर्ती है जो मूलतः या एक मात्र रूप से दो या अधिक उपभोक्ताओं के मध्य आनलाइन संपर्क बनाने में समर्थ हैं और जो, उन्हें उनकी सेवाओं में उपयोग होने वाली जानकारी को सृजित करने, अपलोड करने, बांटने, प्रचारित, उपाचरित करने या उस तक पहुंच बनाने के लिए अनुज्ञात करता है, किन्तु इसमें ऐसे मध्यवर्ती सम्मिलित नहीं हैं जो मूलतः—

(क) वाणिज्यिक या कारबारोन्मुख संव्यवहारों को समर्थ बनाते हैं ;

(ख) इंटरनेट तक पहुंच उपलब्ध करवाते हैं ;

(ग) सर्च इंजनों, आनलाइन इनसाइक्लोपीडिया, ई-मेल सेवाओं, आनलाइन भंडारण सेवाओं की प्रकृति के हैं ।

डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण ।

27. (1) जहां महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी का आशय कोई ऐसा प्रक्रमण करने का है जिसमें नई प्रौद्योगिकियां या बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग या जेनेटिक डाटा या बायोमैट्रिक डाटा जैसे संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का उपयोग अंतर्वलित है या कोई अन्य ऐसा प्रक्रमण करने का है जिसमें डाटा प्रधानों के प्रति महत्वपूर्ण अपहानि का जोखिम है, वहां ऐसा प्रक्रमण तब तक आरंभ नहीं किया जाएगा जब तक डाटा विश्वासी इस धारा के उपबंधों के अनुसार डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण नहीं कर लेता है ।

(2) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा ऐसी परिस्थितियां या डाटा विश्वासी का वर्ग या प्रक्रमण संक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा जहां ऐसा डाटा संरक्षा प्रभाव निर्धारण बाध्यकारी होगा और ऐसे उदाहरण भी विनिर्दिष्ट करेगा जहां डाटा विश्वासी द्वारा इस अधिनियम के अधीन डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण करने के लिए डाटा संपरीक्षक लगाया जाएगा ।

(3) डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा—

(क) प्रस्तावित प्रक्रमण संक्रिया का विस्तृत विवरण, प्रक्रमण का प्रयोजन और प्रक्रमण किए जा रहे वैयक्तिक डाटा की प्रकृति ;

(ख) ऐसी महत्वपूर्ण अपहानि का निर्धारण जो ऐसे डाटा स्वामियों को पहुंचाई जा सकती है जिनके वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण प्रस्तावित है ; और

(ग) अपहानि के ऐसे जोखिम को प्रबंधित करने, न्यून करने, कम करने या हटाने के उपाय ।

(4) डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण पूरा होने पर धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त डाटा संरक्षा अधिकारी निर्धारण का पुनर्विलोकन करेगा और प्राधिकरण को, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपने निष्कर्षों के साथ निर्धारण प्रस्तुत करेगा ।

(5) निर्धारण और उसके पुनर्विलोकन की प्राप्ति पर, यदि प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि प्रक्रमण से डाटा स्वामियों को अपहानि होने की संभावना है तो प्राधिकरण, डाटा विश्वासी को ऐसे प्रक्रमण को समाप्त करने का निदेश दे सकेगा या यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा प्रक्रमण, ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जो प्राधिकरण ठीक समझे ।

अभिलेखों का अनुरक्षण ।

28. (1) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी निम्नलिखित के ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिशुद्ध और अद्यतन अभिलेख रखेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 10 के अधीन यथाअपेक्षित अनुपालन दर्शित करने के लिए डाटा जीवन चक्र में महत्वपूर्ण प्रचालन जिसके अंतर्गत वैयक्तिक डाटा का संग्रहण, अंतरण और हटाया जाना भी है ;

(ख) धारा 24 के अधीन संरक्षा रक्षोपायों का आवधिक पुनर्विलोकन ;

(ग) धारा 27 के अधीन डाटा संरक्षा प्रभाव निर्धारण ;

(घ) प्रक्रमण का कोई अन्य पहलू जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यह धारा राज्य को भी लागू होगी ।

(3) प्रत्येक सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती, जिसे धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के रूप में अधिसूचित किया गया है, ऐसे उपभोक्ताओं को, जिन्हेंने भारत से अपनी सेवा रजिस्टर की है या जो भारत में अपनी सेवाओं का उपयोग करते हैं, स्वेच्छया से अपने लेखे को ऐसी रीति में सत्यापित करने में समर्थ बनाएगा,

जो विहित की जाए ।

(4) कोई ऐसे उपभोक्ताओं, जो स्वेच्छया अपने लेखे का सत्यापन कराता है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए सत्यापन का ऐसा प्रदर्शनीय और दृश्यमान चिह्न उपलब्ध करवाया जाएगा जो सेवा के सभी उपभोक्ताओं के लिए दृश्यमान होगा ।

नीतियों की संपरीक्षा और प्रक्रमण का संचालन, आदि ।

29. (1) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की अपनी नीतियां होंगी और इस अधिनियम के अधीन वार्षिक रूप से किसी स्वतंत्र डाटा संपरीक्षक से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की संपरीक्षा करवाएगा ।

(2) डाटा संपरीक्षक, डाटा विश्वासी का अनुपालन का मूल्यांकन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) धारा 7 के अधीन सूचनाओं की स्पष्टता और प्रभावशीलता ;

(ख) धारा 22 के अधीन अंगीकृत उपायों की प्रभावशीलता ;

(ग) धारा 23 के अधीन प्रक्रमण क्रियाकलापों के संबंध में पारदर्शिता ;

(घ) धारा 24 के अनुसरण में अंगीकृत सुरक्षा संबंधी रक्षोपाय ;

(ङ) वैयक्तिक डाटा भंग के उदाहरण और डाटा विश्वासी का प्रत्युत्तर जिसके अंतर्गत धारा 25 के अधीन प्राधिकरण को दी गई सूचना की तत्परता भी है ;

(च) प्रक्रमण का यथासमय कार्यान्वयन और धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन बाध्यताओं की प्रभावी अनुपंक्ति ; और

(छ) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा इस धारा के अधीन संपरीक्षा के संचालन के लिए प्ररूप और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा ।

(4) प्राधिकरण, स्वतंत्रता, निष्ठा और योग्यता के कारकों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के अधीन डाटा संपरीक्षकों के रूप में, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्पयूटर तंत्र, डाटा विज्ञान, डाटा संरक्षा या निजता के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले ऐसी अर्हता, अनुभव और पात्रता वाले व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रजिस्टर करेगा ।

(5) डाटा संपरीक्षक, इस धारा के अधीन संचालित डाटा संपरीक्षा के अनुसरण में डाटा विश्वासी को डाटा विश्वास अंक के रूप में रेंटिग प्रदान कर सकेगा ।

(6) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, उपधारा (2) में वर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए डाटा विश्वास अंक के रूप में रेटिंग प्रदान करने के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करेगा ।

(7) उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, जहां प्राधिकरण का यह मत है कि डाटा विश्वासी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ऐसी रीति में कर रहा है जिससे डाटा स्वामी को अपहानि होने की संभावना है, वहां प्राधिकरण डाटा विश्वासी को संपरीक्षा करने का निदेश दे सकेगा और उस प्रयोजन के लिए एक डाटा संपरीक्षक नियुक्त करेगा ।

डाटा संरक्षण अधिकारी ।

30. (1) प्रत्येक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी निम्नलिखित कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी अर्हता और अनुभव, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रखने वाला एक डाटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा—

(क) इस अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के संबंध में किन्हीं विषयों पर डाटा विश्वासी को जानकारी और सलाह देना ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे प्रक्रमण से इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है, डाटा विश्वासी के डाटा प्रक्रमण क्रियाकलापों को मानीटर करना ;

(ग) डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण के कार्यान्वयन पर डाटा विश्वासी को सलाह देना और धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन उसका पुनर्विलोकन करना ;

(घ) धारा 22 के अधीन विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को पूरा करने के लिए आंतरिक क्रियाविधियों के विकास पर डाटा विश्वासी को सलाह देना ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार डाटा विश्वासी के अनुपालन संबंधी विषयों पर प्राधिकरण को सहायता और सहयोग देना ;

(च) धारा 32 के अधीन शिकायतों के निवारण के प्रयोजन के लिए डाटा स्वामी के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना ; और

(छ) धारा 28 के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की सूची का अनुरक्षण ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात डाटा विश्वासी को, डाटा संरक्षण अधिकारी को कोई अन्य ऐसा कृत्य, जो वह आवश्यक समझे, सौंपने से निवारित नहीं करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त डाटा संरक्षण अधिकारी भारत में स्थित होगा और इस अधिनियम के अधीन डाटा विश्वासी का प्रतिनिधित्व करेगा ।

डाटा विश्वासियों से भिन्न इकाइयों द्वारा प्रक्रमण ।

31. (1) डाटा विश्वासी, डाटा विश्वासी और ऐसे डाटा प्रक्रमणकर्ता के बीच हुई संविदा के बिना, वैयक्तिक डाटा का अपनी ओर से प्रक्रमण करने के लिए किसी डाटा प्रक्रमणकर्ता को नहीं लगाएगा, नियुक्त नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा या संलग्न नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डाटा प्रक्रमणकर्ता, डाटा विश्वासी के प्राधिकार के सिवाय और जब तक उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा में अनुज्ञात न किया जाए, अपनी ओर से प्रक्रमण में किसी अन्य डाटा प्रक्रमणकर्ता को नहीं लगाएगा, नियुक्त नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा या संलग्न नहीं करेगा ।

(3) डाटा प्रक्रमणकर्ता और डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता का कोई कर्मचारी केवल डाटा विश्वासी के अनुदशों के अनुसार वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण करेगा और उसे गोपनीय माना जाएगा ।

डाटा विश्वासी द्वारा शिकायत का निवारण ।

32. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, डाटा स्वामियों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से और त्वरित रीति में प्रतितोषण के लिए उचित और प्रभावी क्रियाविधि का उपयोग करेगा ।

(2) कोई डाटा स्वामी, जिसे अपहानि हुई है या होने की संभावना है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन की शिकायत निम्नलिखित को कर सकेगा,—

(क) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की दशा में डाटा संरक्षा अधिकारी को ; या

(ख) किसी अन्य डाटा विश्वासी की दशा में, इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी को ।

(3) डाटा विश्वासी द्वारा उपधारा (2) के अधीन की गई किसी शिकायत का समाधान त्वरित रीति में और ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा शिकायत की प्राप्ति के तीस दिन के अपश्चात् किया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है या जहां डाटा स्वामी उस रीति से संतुष्ट नहीं है जिसमें शिकायत का समाधान किया जाता है अथवा डाटा विश्वासी ने शिकायत को नामंजूर कर दिया है, वहां डाटा स्वामी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्राधिकरण को शिकायत फाइल कर सकेगा ।

अध्याय 7

भारत से बाहर वैयक्तिक डाटा के अंतरण पर निर्बंधन

भारत से बाहर संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण पर प्रतिषेध ।

33. (1) धारा 34 की उपधारा (1) में की शर्तों के अधीन रहते हुए संवेदनशील वैयक्तिक डाटा को भारत से बाहर अंतरित किया जा सकेगा किन्तु ऐसा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा भारत में संगृहीत बना रहेगा ।

(2) किसी संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण केवल भारत में ही किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए "संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा" पद से ऐसा वैयक्तिक डाटा अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा के रूप में अधिसूचित किया जाए ।

संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा के अंतरण के लिए शर्तें ।

34. (1) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का भारत से बाहर अन्तरण केवल प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए तभी किया जा सकेगा जब डाटा स्वामी द्वारा ऐसे अन्तरण के लिए सुस्पष्ट सहमति दी गई हो और, जहां—

(क) अंतरण, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संविदा या अंतरासमूह स्कीम के अनुसरण में किया जाता है :

परंतु ऐसी संविदा या अंतरासमूह स्कीम को तब तक अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक उसमें निम्नलिखित के लिए उपबंध नहीं किया गया हो—

(i) इस अधिनियम के अधीन डाटा स्वामी के अधिकारों का प्रभावी संरक्षण, जिसके अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को आगे और अंतरण का संबंध भी है ; और

(ii) ऐसे अंतरण द्वारा ऐसी संविदा या अंतरासमूह स्कीम के उपबंधों के अननुपालन के कारण हुई अपहानि के लिए डाटा विश्वासी का दायित्व ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने, प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् अपने ऐसे निष्कर्षों के आधार पर कि—

(i) ऐसा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा, लागू विधियों और अन्तरराष्ट्रीय करारों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण के यथायेत्रय स्तर के अध्यधीन होगा ; और

(ii) ऐसा अन्तरण समुचित अधिकारिता वाले प्राधिकारियों द्वारा सुसंगत विधि के प्रवर्तन को प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं करेगा,

किसी देश को या किसी देश की ऐसी इकाई को या इकाई के वर्ग को या किसी ऐसे अन्तरराष्ट्रीय संगठन को अन्तरण अनुज्ञात करेगी :

परन्तु इस खंड के अधीन किसी निष्कर्ष का ऐसी रीतियों में जो विहित की जाएं, आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा ;

(ग) प्राधिकरण ने किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी संवेदनशील वैयक्तिक डाटा या संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के किसी वर्ग का अंतरण अनुज्ञात किया है ।

(2) धारा 33 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी किसी संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा को भारत से बाहर केवल वहीं अंतरित किया जा सकेगा जहां ऐसा अंतरण,—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति या इकाई को किया गया है जो स्वास्थ्य सेवाओं या आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था में लगी हुई है जहां ऐसा अंतरण धारा 12 के अधीन त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक है ; और

(ख) किसी देश को या किसी देश में की किसी इकाई या इकाई के वर्ग को या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को वहां किया गया है जहां केन्द्रीय सरकार को ऐसे अन्तरण को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अनुज्ञेय समझा है और ऐसा अन्तरण केन्द्रीय सरकार की राय में राज्य की सुरक्षा और नीतिगत हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है ।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन कोई अंतरण, ऐसी अवधि के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अधिसूचित किया जाएगा ।

अध्याय 8

छूटें

केन्द्रीय सरकार की अधिनियम के लागू होने से सरकार के किसी अभिकरण को छूट देने की शक्ति ।

35. जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(i) भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था के हित में ; या

(ii) भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध के कारित होने के प्रति उद्दीपन के निवारण के लिए,

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध सरकार के किसी अभिकरण को ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध लागू नहीं होंगे, जो अभिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया, रक्षोपायों और अन्वेक्षा क्रियाविधि, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1974 का 2

(i) "संज्ञेय अपराध" पद से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड

(ग) में यथा परिभाषित अपराध अभिप्रेत है ;

(ii) "ऐसे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण" पद के अंतर्गत किसी डाटा विश्वासी, डाटा प्रक्रमणकर्ता या डाटा स्वामी द्वारा सरकार के ऐसे अभिकरण द्वारा या उसके साथ साझा करना भी है ।

वैयक्तिक डाटा के कतिपय प्रक्रमण के लिए कतिपय उपबंधों से छूट ।

36. धारा 4 के सिवाय अध्याय 2, अध्याय 3 से अध्याय 5 धारा 24 के सिवाय, अध्याय 6 और अध्याय 7 के उपबंध लागू नहीं होगें जहां—

(क) वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किसी अपराध के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के, किसी अन्य उल्लंघन के निवारण, उसका पता लगाने, अन्वेषण और अभियोजन के हितों में किया गया है ;

(ख) वैयक्तिक डाटा का प्रकटन किसी विधिक अधिकार या दावे के प्रवर्तन, किसी अनुतोष की ईप्सा, किसी आरोप की प्रतिरक्षा, किसी दावे का विरोध करने या किसी आसन्न विधिक कार्यवाही में किसी अधिवक्ता से कोई विधिक सलाह लेने के लिए आवश्यक है ;

(ग) भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किसी न्यायिक कृत्य के प्रयोग के लिए आवश्यक है ;

(घ) किसी नैसर्गिक व्यक्ति द्वारा किसी वैयक्तिक या घरेलू प्रयोजन के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, सिवाय वहां के जहां ऐसे प्रक्रमण में जनता को प्रकटन अंतर्वलित है या किसी वृत्तिक या वाणिज्यिक क्रियाकलाप के संबंध में किया गया है ; या

(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण पत्रकारिता के प्रयोजन के लिए आवश्यक है या उससे सुसंगत है और जो भारतीय प्रेस परिषद् या किसी अन्य मीडिया स्वविनियामक संगठन द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुपालन में है ।

केंद्रीय सरकार की कतिपय प्रक्रमणकर्ताओं को छूट देने की शक्ति ।

37. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी डाटा प्रक्रमणकर्ता या भारतीय विधि के अधीन निगमित डाटा प्रक्रमणकर्ताओं के किसी वर्ग द्वारा, भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर किसी व्यक्ति के साथ, जिसके अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निगमित कोई कंपनी भी है, की गई संविदा के अनुसरण में ऐसे डाटा स्वामियों के वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को, जो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर नहीं है, इस अधिनियम के लागू होने से छूट दे सकेगी ।

अनुसंधान, अभिलेखागारण या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए छूट ।

38. जहां वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण अनुसंधान, अभिलेखागारण या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए आवश्यक है और प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि--

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन अननुपातिक रूप से संसाधनों का ऐसे प्रयोजन से अपयोजन होगा ;

(ख) प्रक्रमण के प्रयोजनों को प्राप्त नहीं किया जा सकता यदि वैयक्तिक डाटा अज्ञात हो जाता है ;

(ग) डाटा विश्वासी ने धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट व्यवहार संहिता के अनुसार विपहचान की है और प्रक्रमण का प्रयोजन प्राप्त तभी किया जा सकता है

यदि वैयक्तिक डाटा विपहचान किए गए प्ररूप में है ;

(घ) वैयक्तिक डाटा का उपयोग किसी ऐसे विनिश्चय के लिए नहीं किया जाएगा जो डाटा स्वामी के प्रति विनिर्दिष्ट है या उसके प्रति निर्देशित कार्रवाई के लिए है ; और

(ङ) वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ऐसी रीति में नहीं किया जाएगा जिससे डाटा स्वामी को महत्वपूर्ण अपहानि के जोखिम उत्पन्न हों,

वहां वह अधिसूचना द्वारा इस अनुसंधान, अभिलेखागारण, या सांख्यिकीय प्रयोजनों के ऐसे वर्गों को अधिनियम के उपबंधों के लागू होने से छूट दे सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

लघु इकाइयों द्वारा हस्त प्रक्रमण के लिए छूट ।

39. (1) धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 17 की उपधारा (1) का खंड (ग) और धारा 19 से धारा 32 के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां किसी लघु इकाई द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण स्वचालित नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "लघु इकाई" से ऐसा डाटा विश्वासी अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विनियमों द्वारा वर्गीकृत किया जाए—

(क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में डाटा विश्वासी का आवर्त ;

(ख) किन्हीं अन्य व्यष्टियों या इकाइयों को प्रकटन के लिए वैयक्तिक डाटा के संग्रहण का प्रयोजन ; और

(ग) पूर्ववर्ती बारह कैलेंडर मासों में किसी एक दिन में ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए वैयक्तिक डाटा का आकार ।

नवाचार, आदि के प्रोत्साहन के लिए सैंडबाक्स ।

40. (1) प्राधिकरण, लोकहित में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन विद्वत या किसी अन्य उभरती प्रौद्योगिकी में नवाचार के प्रोत्साहन देने के प्रयोजनों के लिए एक सैंडबाक्स का सृजन करेगा ।

(2) कोई डाटा विश्वासी, जिसकी धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा डिजाइन नीति द्वारा निजता प्रमाणित की जाती है, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के अधीन सृजित सैंडबाक्स में सम्मिलित होने के लिए, आवेदन करने का पात्र होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सैंडबाक्स में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने वाला कोई डाटा विश्वासी, निम्नलिखित जानकारी देगा, अर्थात् :—

(क) वह अवधि जिसके लिए उसने सैंडबाक्स के फायदे के उपयोग की ईप्सा की है, परंतु ऐसी अवधि बारह मास से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रौद्योगिकी का नवाचारी उपयोग और उसका फायदाप्रद उपयोग ;

(ग) प्रस्तावित प्रक्रमण के अधीन भागीदारी करने वाले डाटा स्वामियों या डाटा स्वामियों के प्रवर्ग ; और

(घ) कोई अन्य जानकारी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) प्राधिकरण, सैंडबाक्स में किसी डाटा विश्वासी को सम्मिलित करते समय

निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगा—

(क) सैंडबाक्स में सम्मिलित करने की अवधि, जो छत्तीस मास की कुल अवधि के अधीन रहते हुए, दो बार से अनधिक नवीनीकृत की जा सकेगी ;

(ख) रक्षोपाय जिसके अंतर्गत किसी अनुज्ञप्तिधारी क्रियाकलाप के अधीन भाग लेने वाले डाटा स्वामी की सहमति की अपेक्षा, ऐसे, डाटा स्वामियों की क्षतिपूर्ति और ऐसे रक्षोपायों के संबंध में शास्तियों सहित खंड (ग) के अधीन बाध्यताओं को देखते हुए निबंधन और शर्तें भी हैं ; और

(ग) निम्नलिखित बाध्यताएं ऐसे डाटा विश्वासी को लागू नहीं होंगी या उपांतरित रूप में लागू होंगी, अर्थात् :—

(i) धारा 4 और धारा 5 के अधीन स्पष्ट और विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करने की बाध्यता ;

(ii) धारा 6 के अधीन वैयक्तिक डाटा के संग्रहण पर निर्बंधन ; और

(iii) उस विस्तार तक कोई अन्य बाध्यता धारा 5 और धारा 6 के अधीन बाध्यताओं पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है ; और

(iv) धारा 9 के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण पर निर्बंधन ।

अध्याय 9

भारतीय डाटा सरंक्षण प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना ।

41. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा सरंक्षण प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3 प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो विहित किया जाए ।

(4) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठन और अर्हताएं ।

42. (1) प्राधिकरण, एक अध्यक्ष और छह से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसमें से एक सदस्य विधि में अर्हता और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) मंत्रिमंडल सचिव, जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग से सम्बन्धित मंत्रालय या विभाग का सचिव ; और

(ग) भारत सरकार के इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित

मंत्रालय या विभाग का सचिव ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नामों की सिफारिश करने के लिए चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और ख्याति वाले व्यक्ति होंगे और जिन्हें डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंध, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा, साइबर और इंटरनेट विधि, लोक प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा या सम्बन्धित विषयों के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो ।

(5) प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की पद पर हुई कोई आकस्मिक रिक्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसी रिक्ति होती है, तीन मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी ।

नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ।

43. (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

(3) अध्यक्ष और सदस्य, अपनी पदावधि के दौरान तथा उस तारीख से, जिसको वे पदधारण करने से प्रविरत हो जाते हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए,—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे ;

(ख) किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के साथ किसी भी हैसियत में कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे ।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ; अथवा

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा ।

अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का हटाया जाना ।

44. (1) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो—

(क) जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य हो गया है ;

(ग) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(घ) जिसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है ; या

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

अध्यक्ष की शक्तियां ।

45. प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण करने और निदेश देने की शक्तियां होंगी तथा वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कृत्यों का न निर्वहन और सभी बातें भी करेगा जिनका इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा ।

प्राधिकरण की बैठकें ।

46. (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेंगे और अपनी बैठकों में कार्य करने के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियम का पालन करेंगे, जो विहित किए जाएं ।

(2) यदि, किसी कारण से, अध्यक्ष, प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण की किसी बैठक में उनके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(4) ऐसा कोई सदस्य, जिसका प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है, तो वह ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा जिसे प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उस विषय के सम्बन्ध में प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

47. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

48. (1) प्राधिकरण उतने अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, परामर्शदाताओं तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) ऐसे अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, परामर्शदाताओं तथा विशेषज्ञों का कोई पारिश्रमिक, वेतन या भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो

विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

49. (1) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह डाटा स्वामियों के हितों का संरक्षण करे, वैयक्तिक डाटा के किसी दुरुपयोग का निवारण करे, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करे और डाटा संरक्षण के बारे में जागरुकता का संवर्धन करे ।

(2) इस अधिनियम के पूर्वगामी और अन्य कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों की मॉनीटरी और उनके उपयोजन का प्रवर्तन करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वैयक्तिक डाटा के भंग की प्रतिक्रिया में तत्पर और समुचित कार्रवाई करना ;

(ग) अपनी वेबसाइट पर कोई ऐसे डाटाबेस का अनुरक्षण करना जिसमें डाटा विश्वसनीयता स्कोर के प्ररूप में रेटिंग के साथ महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के नाम, ऐसे डाटा विश्वासियों द्वारा इस अधिनियम की बाध्यताओं के अनुपालन को उपदर्शित करते हुए, अन्तर्विष्ट होंगे ;

(घ) किसी डाटा संपरीक्षा रिपोर्ट की परीक्षा करना तथा उनके अनुसरण में कोई कार्रवाई करना ;

(ङ) डाटा संपरीक्षकों को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करना तथा उसका नवीकरण करना, वापस लेना, निलंबन या रद्दकरण तथा रजिस्ट्रीकृत डाटा संपरीक्षकों के डाटाबेस का अनुरक्षण करना तथा ऐसे डाटा संपरीक्षकों की अर्हताएं, व्यवहार संहिता, व्यावहारिक प्रशिक्षण और उनके द्वारा पालन किए जाने वाले कृत्यों को विनिर्दिष्ट करना ;

(च) डाटा विश्वासियों का वर्गीकरण ;

(छ) वैयक्तिक डाटा के सीमा पार अंतरण की मॉनीटरी करना ;

(ज) व्यवहार संहिता को विनिर्दिष्ट करना ;

(झ) डाटा विश्वासियों और डाटा स्वामियों के बीच वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के सम्बन्ध में जोखिमों, नियमों, रक्षोपायों तथा अधिकारों के प्रति जागरुकता और अवबोधन का संवर्धन करना ;

(ञ) ऐसे प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यिक व्यवहारों को मानीटर करना, जिससे वैयक्तिक डाटा का संरक्षण प्रभावित हो सकता है ;

(ट) वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के क्षेत्र में नवाचार के लिए मानदंडों का संवर्धन और अनुसंधान करना ;

(ठ) वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के संवर्धन के लिए और इस अधिनियम के लागू होने या उसके प्रवर्तन की अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपायों पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकरण को सलाह देना ;

(ड) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीस और

अन्य प्रभार विनिर्दिष्ट करना ;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन परिवाद प्राप्त करना तथा उनकी जांच करना ; और

(ण) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

(3) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकरण किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करता है, वहां इसका अर्थ ऐसे वैयक्तिक डाटा के सम्बन्ध में यथा लागू डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के रूप में लगाया जाएगा तथा जहां प्राधिकरण के कब्जे में कोई ऐसी सूचना आती है जिसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा गोपनीय माना गया है, वहां वह ऐसी जानकारी को तब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक किसी विधि के अधीन ऐसा किया जाना अपेक्षित न हो या जहां इस धारा के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसा अपेक्षित है ।

व्यवहार संहिता ।

50. (1) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा डाटा संरक्षण की मान्य कार्यप्रणाली के संवर्धन के लिए और इस अधिनियम के अधीन बाध्यताओं के अनुपालन को सुकर बनाने के लिए एक व्यवहार संहिता विनिर्दिष्ट करेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए, प्राधिकरण किसी उद्योग या व्यापार संगम, डाटा स्वामी के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगम, किसी क्षेत्रीय विनियामक या कानूनी प्राधिकरण या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किसी व्यवहार संहिता का अनुमोदन कर सकेगा ।

(3) प्राधिकरण इस धारा के अधीन किसी व्यवहार संहिता को विनिर्दिष्ट या अनुमोदित करते समय इस अधिनियम के अधीन डाटा विश्वास की बाध्यताओं तथा डाटा स्वामी के अधिकारों के साथ अनुपालन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई व्यवहार संहिता, तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक प्राधिकरण ने क्षेत्रीय विनियामकों और अन्य पणधारियों के साथ और जिसके अन्तर्गत जनता भी है, परामर्श नहीं किया हो और ऐसी प्रक्रियाओं का, जो विहित की जाएं, पालन न किया हो ।

(5) इस धारा के अधीन जारी कोई व्यवहार संहिता इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अल्पीकरण में नहीं होगी ।

(6) इस अधिनियम के अधीन व्यवहार संहिता में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 7 के अधीन सूचना की अपेक्षाएं, जिनके अन्तर्गत सूचना से सम्बन्धित कोई मॉडल प्ररूप या दिशा मार्गदर्शक सिद्धांत भी है ;

(ख) धारा 8 के अधीन प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए उपाय ;

(ग) धारा 9 के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण से सम्बन्धित उपाय ;

(घ) धारा 11 के अधीन विधिमान्य सहमति अभिप्राप्त करने की रीति ;

(ङ) धारा 12 के अधीन वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(च) ऐसे क्रियाकलाप, जिससे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण धारा 14 के

अधीन किया जा सके ;

(छ) अध्याय 3 के अधीन संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(ज) प्रक्रमण के किसी अन्य आधार के अधीन वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बालकों के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण और आयु सत्यापन भी है ;

(झ) अध्याय 5 के अधीन डाटा स्वामी द्वारा किसी अधिकार का प्रयोग करना ;

(ञ) ऐसे मानक और साधन, जिनके द्वारा डाटा स्वामी धारा 19 के अधीन डाटा सुवाह्यता के अधिकार का उपभोग कर सकेगा ;

(ट) ऐसे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व संबंधी उपाय, जिनके अन्तर्गत अध्याय 6 के अधीन डाटा विश्वासियों और डाटा प्रक्रमणकर्ताओं द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले मानक भी हैं ;

(ठ) धारा 24 के अधीन डाटा विश्वासियों और डाटा प्रक्रमणकर्ताओं द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले सुरक्षा सम्बन्धी रक्षोपायों के लिए मानक ;

(ड) विपहचान और अनामिकरण की पद्धति ;

(ढ) वैयक्तिक डाटा को नष्ट किए जाने, हटाए जाने या मिटाए जाने की ऐसी पद्धतियां, जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हैं ;

(ण) धारा 25 के अधीन वैयक्तिक डाटा के भंग प्रत्युत्तर में डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा की जाने वाली समुचित कार्रवाई ;

(त) वह रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन डाटा विश्वासी या उसके किसी वर्ग द्वारा डाटा संरक्षण समाघात निर्धारण किया जा सकेगा ;

(थ) धारा 34 के अनुसरण में भारत से बाहर वैयक्तिक डाटा का अंतरण ;

(द) धारा 38 के अधीन अनुसंधान, अभिलेखन या सांख्यिकी प्रयोजनों के लिए आवश्यक किसी क्रियाकलाप के लिए किसी वैयक्तिक डाटा या संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ; और

(ध) कोई अन्य विषय, जिसका प्राधिकरण के विचार से व्यवहार संहिता में उपबंध किया जाना आवश्यक हो ।

(7) प्राधिकरण ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस धारा के अधीन जारी व्यवहार संहिता का पुनर्विलोकन, उपांतरण या प्रतिसंहरण कर सकेगा ।

प्राधिकरण की निदेश जारी करने की शक्ति ।

51. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन, अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह किसी ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के लिए, जो ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है, आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक प्राधिकरण द्वारा सम्बद्ध डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए ।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश को, उसे किए गए अभ्यावेदन के आधार पर या स्वप्रेरणा से उपांतरित, निलंबित, प्रत्याहृत या रद्द कर सकेगा और ऐसा करते समय ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा जिसके अधीन रहते हुए उपांतरण, निलंबन, प्रत्याहरण या रद्दकरण प्रभावी होगा ।

जानकारी मांगने की प्राधिकरण की शक्ति ।

52. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो ।

(2) यदि प्राधिकरण, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से उपधारा (1) के अधीन कोई जानकारी उपलब्ध करवाने की अपेक्षा करता है तो वह डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को, ऐसी अध्यपेक्षा के कारणों का कथन करते हुए एक लिखित सूचना उपलब्ध करवाएगा ।

(3) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, ऐसी रीति निर्दिष्ट करेगा जिसमें डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता उपधारा (1) में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएगा जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी का पदनाम, जो जानकारी की ईप्सा कर सकेगा तथा वह प्ररूप, जिसमें ऐसी जानकारी दी जा सकेगी ।

जांच करने की प्राधिकरण की शक्ति ।

53. (1) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी शिकायत पर जांच कर सकेगा या जांच करवा सकेगा, यदि उसके पास ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है—

(क) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं जो डाटा स्वामी के हित के लिए अहितकर है ; या

(ख) किसी डाटा विश्वासी या प्रक्रमणकर्ता ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या प्राधिकरण के किसी निदेश का उल्लंघन किया है ।

(2) प्राधिकरण, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए लिखित आदेश द्वारा, ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के कार्यकलापों की जांच करने तथा की गई किसी जांच पर प्राधिकरण को रिपोर्ट देने के लिए अपने अधिकारियों में से किसी अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए जांच अधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की ईप्सा कर सकेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेशों में जांच के कारणों तथा जांच की परिधि विनिर्दिष्ट होगी तथा इसे समय-समय पर उपांतरित किया जा सकेगा ।

(5) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के प्रत्यक्ष प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति या जहां सेवाएं, यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा अभिप्राप्त की जा रही हैं या उसे उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वहां सेवा प्रदाता या ठेकेदार जांच अधिकारी के समक्ष सभी ऐसी पुस्तकें, रजिस्टर, दस्तावेज, अभिलेख और उसकी अभिरक्षा में का कोई डाटा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा या उसे जांच अधिकारी को डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के

कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसा कोई विवरण या जानकारी देने की शक्ति होगी जिसकी जांच अधिकारी ऐसे समय के भीतर, जो जांच अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपेक्षा करे ।

(6) जांच अधिकारी, जांच के कारण और डाटा विश्वासी और जांच अधिकारी के बीच सम्बन्ध के बारे में बताए हुए, उपधारा (5) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को लिखित में एक सूचना देगा ।

(7) जांच अधिकारी छह मास के लिए उपधारा (5) के अधीन पेश की गई किन्हीं पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, अभिलेखों और अन्य डाटा को अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा तथा उसके पश्चात्, जब तक प्राधिकरण से ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, अभिलेखों और डाटा को तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए प्रतिधारित करने का अनुमोदन अभिप्राप्त न किया गया हो, उसे उसी व्यक्ति को वापस करेगा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, दस्तावेज, अभिलेख और डाटा प्रस्तुत किए गए थे ।

(8) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए, यथास्थिति, प्राधिकरण या जांच अधिकारी को, इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) ऐसे स्थान और ऐसे समय पर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ख) व्यक्तियों को समन कराना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ग) किसी डाटा विश्वासी की किसी पुस्तक दस्तावेज, रजिस्टर या अभिलेख का निरीक्षण करना ;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

जांच के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाई ।

54. (1) प्राधिकरण, धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने का ऐसा अवसर, जैसा प्राधिकरण युक्तियुक्त समझे, देने के पश्चात् लिखित में आदेश द्वारा—

(क) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को चेतावनी दे सकेगा, जहां कारबार या क्रियाकलापों में इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण किया गया है ;

(ख) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को धिग्दंड दे सकेगा, जहां कारबार या क्रियाकलापों में इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण किया गया है ;

(ग) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से इस अधिनियम के उपबंधों का कोई अतिक्रमण करने या करवाए जाने से परिविरत और प्रविरत होने की अपेक्षा

कर सकेगा ;

(घ) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से उसके कारबार या क्रियाकलापों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में लाने के लिए उसे उपांतरित करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ङ) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के ऐसे कारबार या क्रिया-कलाप को अस्थायी रूप से निलंबित या बंद कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में हैं ;

(च) किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की दशा में प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त किसी रजिस्ट्रीकरण को परिवर्तित, निलंबित या रद्द कर सकेगा ;

(छ) वैयक्तिक डाटा के किसी सीमा-पार प्रवाह को निलंबित या बंद कर सकेगा ; या

(ज) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से ऐसी रिपोर्ट से उद्भूत किसी विषय के सम्बन्ध में ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो प्राधिकरण ठीक समझे ।

(2) इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

तलाशी और अभिग्रहण ।

55. (1) जहां धारा 53 के अधीन जांच के दौरान, जांच अधिकारी को यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि इसमें यथा उल्लिखित किसी व्यक्ति से सम्बन्धित किन्हीं पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, अभिलेखों और डाटा को परिवर्तित, विकृत, विनिर्मित, मिथ्याकृत या विनष्ट करने की संभावना है, वहां जांच अधिकारी, ऐसे अभिहित न्यायालय को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों और अभिलेखों का अभिग्रहण करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) जांच अधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उसकी सहायता हेतु किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या दोनों की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करे ।

(3) आवेदन पर विचार करने और जांच अधिकारी को सुने जाने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो तो अभिहित न्यायालय, आदेश द्वारा जांच अधिकारी को,—

(क) ऐसी सहायता से, जो अपेक्षित है, ऐसे स्थान या स्थानों पर, जहां ऐसी पुस्तकें, रजिस्टर, दस्तावेज और अभिलेख रखे गए हैं, प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ; और

(ग) ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों और अभिलेखों का अभिग्रहण करने के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा जो वह जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) जांच अधिकारी, इस धारा के अधीन जांच की समाप्ति के अपश्चात्, ऐसी अवधि

के लिए, जो वह आवश्यक समझे, अभिग्रहीत पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों और अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा और तत्पश्चात् उसे उस व्यक्ति को वापस करेगा जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से उनका अभिग्रहण किया गया था तथा अभिहित न्यायालय को ऐसी वापसी की सूचना देगा ।

(5) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन तलाशी या अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबंधों के अनुसार की जाएगी । 1974 का 2

प्राधिकरण और अन्य विनियामकों या प्राधिकरणों के बीच समन्वय ।

56. जहां इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा की जाने के लिए प्रस्तावित कोई कार्रवाई ऐसी है जिसमें संसद् या राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य विनियामक या प्राधिकरण को भी समवर्ती अधिकारिता प्राप्त है, वहां प्राधिकरण, ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे अन्य विनियामक या प्राधिकरण से परामर्श करेगा तथा ऐसे अन्य विनियामक अथवा प्राधिकरण के साथ, ऐसी कार्रवाई के समन्वय को शासित करने के वाला एक समझौता ज्ञापन भी कर सकेगा ।

अध्याय 10

शास्तियां और प्रतिकर

अधिनियम के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्तियां ।

57 (1) जहां कोई डाटा विश्वासी निम्नलिखित में से किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा—

(क) धारा 25 के अधीन किसी डाटा सुरक्षा के भंग की प्रतिक्रिया में तत्परता से और समुचित कार्रवाई करने की बाध्यता ;

(ख) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के साथ रजिस्टर होने में विफलता ;

(ग) धारा 27 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संरक्षण समाघात निर्धारण करने की बाध्यता ;

(घ) धारा 29 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संपरीक्षा करने की बाध्यता ;

(ङ) धारा 30 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति,

वह ऐसी शास्ति का, जो पांच करोड़ रुपए या उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कुल विश्वव्यापी आवर्त का दो प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो, हो सकेगी, दायी होगा ।

(2) जहां कोई डाटा विश्वासी निम्नलिखित में से किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा,—

(क) अध्याय 2 या अध्याय 3 के उपबंधों के अतिक्रमण में वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(ख) अध्याय 4 के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(ग) धारा 24 के अनुसार सुरक्षा के सुरक्षोपायों के पालन में असफल होना ;

या

(घ) अध्याय 7 के उपबंधों के अतिक्रमण में भारत के बाहर वैयक्तिक डाटा का अंतरण,

वह ऐसी शास्ति का, जो पंद्रह करोड़ रुपए या उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कुल विश्वब्यापी आवर्त का चार प्रतिशत तक, जो भी उच्चतर हो, हो सकेगी, दायी होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कुल विश्वव्यापी आवर्त" पद से ऐसे राजस्व की कुल रकम अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं के विक्रय, प्रदाय या वितरण से या दी गई सेवाओं के मद्दे या दोनों के लाभ और हानि लेखे या यथा लागू किसी अन्य समतुल्य विवरण में मान्यताप्राप्त हो और जहां ऐसा राजस्व भारत में और भारत के बाहर जनित हुआ हो ;

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी डाटा विश्वासी के सम्बन्ध में कुल विश्वव्यापी आवर्त डाटा विश्वासी का कुल विश्वव्यापी आवर्त है और जहां किसी इकाई समूह का ऐसा कुल विश्वव्यापी आवर्त,—

(i) किसी डाटा विश्वासी और इकाई समूह के संपूर्ण आर्थिक हितों का न्यागमन ;

(ii) विशिष्टतया डाटा विश्वासी द्वारा किए जाने वाले प्रक्रमण क्रियाकलापों के सम्बन्ध में डाटा विश्वासी और इकाई समूह के बीच का संबंध ; और

(iii) यथास्थिति, इकाई समूह द्वारा डाटा विश्वासी पर या डाटा विश्वासी द्वारा इकाई समूह पर प्रयुक्त नियंत्रण की मात्रा,

सहित कारकों को ध्यान में रखते हुए, डाटा विश्वासी के प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है, वहां डाटा विश्वासी के किसी इकाई समूह का कुल विश्वव्यापी आवर्त होगा ;

(ग) जहां राज्य द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया हो, वहां अधिकतम शास्ति क्रमशः उपधारा (1) के अधीन पांच करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी तथा उपधारा (2) के अधीन पन्द्रह करोड़ रुपए तक की होगी ।

अध्याय 5 के अधीन डाटा स्वामी के अनुरोध के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।

58. जहां कोई डाटा विश्वासी किसी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के बिना, अध्याय 5 के अधीन डाटा स्वामी द्वारा किए गए किसी अनुरोध का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वहां ऐसा डाटा विश्वासी, महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों की दशा में, अधिकतम दस लाख रुपए तथा अन्य मामलों में पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा ।

रिपोर्ट, विवरणियां, जानकारी, आदि को देने में असफलता के लिए शास्ति ।

59. यदि कोई डाटा विश्वासी, जिससे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन प्राधिकरण को रिपोर्ट, विवरणी या जानकारी देने की अपेक्षा है, उसे देने में असफल रहेगा तो ऐसा डाटा विश्वासी, महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों की दशा में अधिकतम बीस लाख रुपए तथा अन्य मामलों में पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा ।

प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश या आदेश के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।

60. यदि कोई डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता धारा 51 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किसी निदेश का या धारा 54 के अधीन प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश के अनुपालन में असफल रहेगा तो ऐसा डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो अधिकतम दो करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, बीस हजार रुपए हो सकेगी और डाटा प्रक्रमणकर्ता की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, अधिकतम पचास लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी ।

उल्लंघन के लिए शास्ति, जहां पृथक रुप से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है ।

61. जहां कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को लागू इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी ऐसे उपबंध का, जिसके लिए किसी पृथक शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, पालन करने में असफल रहेगा, वहां ऐसा व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों की दशा में अधिकतम एक करोड़ रुपए तक और अन्य दशाओं में पच्चीस लाख रुपए तक की शास्ति का दायी होगा ।

न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति ।

62. (1) प्राधिकरण, धारा 57 से धारा 61 के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने या धारा 64 के अधीन प्रतिकर का अधिनिर्णय करने के प्रयोजन के लिए उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन संक्रियात्मक पृथक्करण, स्वतंत्रता तथा न्यायनिर्णयन की तटस्थता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए,—

(क) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले न्यायनिर्णायक अधिकारियों की संख्या ;

(ख) न्यायनिर्णायक अधिकारियों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा निबंधन ;

(ग) न्यायनिर्णायक अधिकारियों की अधिकारिता ;

(घ) अन्य ऐसी अपेक्षाएं, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे,

विहित करेगी ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, योग्यता, सत्यनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे और उन्हें विधि, साइबर और इंटरनेट विधियां, सूचना प्रौद्योगिकी विधि और नीति डाटा संरक्षण तथा संबंधित विषयों के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और कम से कम सात वर्ष का वृत्तिक अनुभव होना चाहिए ।

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया ।

63. (1) इस अध्याय के अधीन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और, यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता या किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, के सिवाय कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी :

परंतु इस धारा के अधीन कोई जांच, प्राधिकरण द्वारा की गई शिकायत के सिवाय आरम्भ नहीं की जाएगी ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को कोई जांच करते समय किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, साक्ष्य देने या ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी ।

(3) यदि, ऐसी जांच की समाप्ति पर न्यायनिर्णायक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहा है या उसने इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी डाटा स्वामी को अपहानि कारित की है तो न्यायनिर्णायक अधिकारी सुसंगत धारा के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसी शास्ति को अधिरोपित कर सकेगा ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी यह विनिश्चय करते समय कि क्या उपधारा (3) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाए और धारा 57 से धारा 61 के अधीन शास्ति की मात्रा का अवधारण करने में निम्नलिखित कारकों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(क) सम्बद्ध प्रक्रमण की प्रकृति, व्याप्ति और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, अतिक्रमण की प्रकृति, गंभीरता और कालावधि ;

(ख) प्रभावी डाटा स्वामियों की संख्या तथा उनके द्वारा सहन की गई अपहानि का स्तर ;

(ग) अतिक्रमण का आशयपूर्ण या उपेक्षाकारी स्वरूप ;

(घ) अतिक्रमण द्वारा समाघातित वैयक्तिक डाटा की प्रकृति ;

(ङ) व्यतिक्रम की पुनरावृत्त प्रकृति ;

(च) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा कार्यान्वित पारदर्शिता तथा जवाबदेही सम्बन्धी उपाय, जिनके अन्तर्गत सुरक्षा रक्षोपायों से सम्बन्धित किसी सुसंगत व्यवहार संहिता का पालन भी है ;

(छ) डाटा स्वामियों द्वारा सहन की गई अपहानि को कम करने के लिए डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई ; और

(ज) मामले की परिस्थितियों से सुसंगत कोई अन्य गुरुतरकारी या न्यूनीकृत कारक, जैसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप हुए अननुपातिक अभिलाभ या अनुचित फायदा, जहां कहीं निर्धारण योग्य हो ।

(5) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

प्रतिकर ।

64. (1) किसी ऐसे डाटा स्वामी को, जिसने डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी उपबंध के अतिक्रमण के परिणामस्वरूप अपहानि सहन की है, यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से प्रतिकर की ईप्सा करने का अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि डाटा प्रक्रमणकर्ता केवल तभी दायी होगा, जहां उसने धारा 31 के अनुसरण में डाटा विश्वासी के अनुदेश के लिए देश में या देश के बाहर कार्य किया है या जहां डाटा प्रक्रमणकर्ता उपेक्षापूर्ण रीति में कोई कार्य करते हुए पाया गया है या जहां डाटा प्रक्रमणकर्ता ने धारा 24 के अधीन पर्याप्त सुरक्षा रक्षोपाय सम्मिलित नहीं किए हैं या जहां इस अधिनियम के किन्हीं ऐसे उपबंधों का, जो अभिव्यक्त रूप से इसे लागू होते हैं, का अतिक्रमण किया है ।

(2) डाटा स्वामी, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, न्यायनिर्णायक अधिकारी को परिवाद करके इस धारा के अधीन प्रतिकर की ईप्सा कर सकेगा ।

(3) जहां एक या अधिक डाटा स्वामी या डाटा स्वामियों का ऐसा कोई पहचानने योग्य वर्ग है जिसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा किसी अतिलंघन के परिणामस्वरूप अपहानि हुई है, वहां कोई एक परिवादकर्ता ऐसे सभी डाटा स्वामियों की ओर से सहन की गई अपहानि के प्रतिकर की ईप्सा कर सकेगा ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, इस धारा के अधीन प्रतिकर देने और प्रतिकर की रकम का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) अधिनियम, नियमों या उसके अधीन विहित नियमों या विनिर्दिष्ट विनियमों के उपबंधों के अतिक्रमण की प्रकृति, अवधि तथा उसका विस्तार ;

(ख) डाटा स्वामी द्वारा सहन की गई अपहानि की प्रकृति और विस्तार;

(ग) अतिक्रमण का आशयपूर्ण या उपेक्षापूर्ण स्वरूप ;

(घ) यथास्थिति,डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा कार्यान्वित पारदर्शिता तथा जवाबदेही सम्बन्धी उपाय, जिसके अन्तर्गत सुरक्षा रक्षोपायों से सम्बन्धित किसी सुसंगत व्यवहार संहिता के प्रति अनुशक्ति भी है ;

(ङ) डाटा स्वामी द्वारा सहन की गई अपहानि को कम करने के लिए, यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई ;

(च) यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा, ऐसे किसी अतिक्रमण या ऐसे अतिक्रमण का पूर्व इतिहास ;

(छ) क्या डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता के मध्य हुए ठहराव में, डाटा विश्वासी की ओर से डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा प्रक्रमण किए गए वैयक्तिक डाटा की संरक्षा के लिए पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी उपाय अंतर्विष्ट हैं ;

(ज) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप अननुपातिक लाभ या अनुचित फायदे, जहां कहीं अनुमान्य हो, जैसे मामले की परिस्थितियों से सुसंगत कोई अन्य गुरुतरकारी या न्यूनीकृत कारक ।

(5) जहां एक से अधिक डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता या डाटा विश्वासी

और डाटा प्रक्रमणकर्ता दोनों समान प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलाप में अंतर्वलित हैं और वे डाटा स्वामी को अपहानि कारित करते हुए पाए जाते हैं वहां प्रत्येक डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को डाटा स्वामी के प्रति अपहानि के लिए प्रभावी और त्वरित प्रतिकर सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण प्रतिकर के संदाय का आदेश दिया जा सकेगा ।

(6) जहां उपधारा (5) के अनुसार डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता ने डाटा स्वामी द्वारा सहन की गई अपहानि के लिए प्रतिकर का संदाय कर दिया है वहां ऐसा डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता, यथास्थिति, अन्य डाटा विश्वासियों या डाटा प्रक्रमणकर्ताओं से प्रतिकर की उस रकम का दावा करने के हकदार होंगे, जो कारित अपहानि के लिए उनके दायित्व के तत्समान है ।

(7) इस धारा के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(8) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन किसी शिकायत की सुनवाई की प्रक्रिया विहित कर सकेगी ।

अन्य दंड में प्रतिकर या शास्तियों का बाधित न होना ।

65. इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत कोई प्रतिकर या अधिरोपित शास्ति इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर के अधिनिर्णय या किसी अन्य शास्ति या दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगी ।

धनराशि की वसूली ।

66. (1) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति या अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम की वसूली, यदि संदत्त नहीं की गई है, ऐसे की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो ।

(2) इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी धनराशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी ।

अध्याय 11

अपील अधिकरण

अपील अधिकरण की स्थापना ।

67. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(क) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से किसी अपील की सुनवाई और निपटान के लिए ;

(ख) धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के किसी आदेश से किसी अपील की सुनवाई और निपटान के लिए ;

(ग) धारा 63 की उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से किसी अपील की सुनवाई और निपटान के लिए ; और

(घ) धारा 64 की उपधारा (7) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से किसी अपील की सुनवाई और निपटान के लिए,

एक अपील अधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) अपील अधिकरण, अध्यक्ष और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

(3) अपील अधिकरण की स्थापना ऐसे स्थान या स्थानों पर की जाएगी, जो केंद्रीय

सरकार, अधिकरण के परामर्श से अधिसूचित करे ।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां, केंद्रीय सरकार की राय में, कोई विद्यमान निकाय, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सक्षम है, वहां केंद्रीय सरकार, ऐसे निकाय को इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी ।

सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, अवधि, सेवा की शर्तें ।

68. (1) कोई व्यक्ति, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब,—

(क) वह अध्यक्ष की दशा में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो ;

(ख) किसी सदस्य की दशा में, उसने भारत सरकार में सचिव का पद या केंद्रीय सरकार में कोई समतुल्य पद कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए धारण कर रखा हो या ऐसा व्यक्ति, जो डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंधन, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा के क्षेत्र में साइबर और इंटरनेट विधि या किसी अन्य संबंधित विषय का ज्ञाता हो ।

(2) केंद्रीय सरकार, अपील अधिकरण के अध्यक्ष और किसी सदस्य की नियुक्ति की रीति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, हटाया जाना तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी ।

रिक्तियां ।

69. यदि, अस्थाई उपस्थिति के सिवाय, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर कोई रिक्ति है, तो केंद्रीय सरकार, किसी अन्य व्यक्ति को, उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम या विहित नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त करेगी और अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही उस प्रक्रम से, जब रिक्ति भर दी जाती है, चालू रखी जा सकेगी ।

अपील अधिकरण के कर्मचारिवृंद ।

70. (1) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जितने वह ठीक समझे ।

(2) अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, उसके अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी अन्य सेवा शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

न्यायपीठों के बीच कामकाज का वितरण ।

71. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील अधिकरण की अधिकारिता का प्रयोग उसकी ऐसी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा जिनका गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

(2) जहां अपील अधिकरण की न्यायपीठों का गठन उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वहां अध्यक्ष, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, अपील अधिकरण के कामकाज का न्यायपीठों के बीच वितरण, न्यायपीठों के मध्य सदस्यों के अंतरण के बारे में उपबंध कर सकेगा और उन विषयों के लिए भी उपबंध कर सकेगा जो प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा विचारणीय होंगे ।

(3) अपील अधिकरण का अध्यक्ष, पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर

और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् तथा उनमें से ऐसे कुछ की सुनवाई करने के पश्चात् जिसकी अध्यक्ष सुनवाई करना चाहे या अध्यक्ष, ऐसी सूचना के बगैर स्वप्रेरणा से एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटान हेतु किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा ।

अपील अधिकरण को अपील ।

72. (1) अधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और वह ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए :

परंतु अपील अधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसके फाइल न किए जाने के पर्याप्त कारण थे ।

(2) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर, अपील अधिकरण, विवाद या अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) अपील अधिकरण, यथास्थिति, विवाद या अपील के पक्षकारों और प्राधिकरण को उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति भेजेगा ।

(4) अपील अधिकरण, इस धारा के अधीन की गई अपील में निर्दिष्ट प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्यता या सत्यता का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या अन्यथा ऐसी अपील या आवेदन के निपटारे से सुसंगत अभिलेखों को मंगाएगा और ऐसे आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे ।

अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां ।

73. (1) अपील अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अपील अधिकरण को स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी । 1908 का 5

(2) अपील अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा लेना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अन्य अभिलेख की प्रति या दस्तावेज मांगना; 1872 का 1

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) किसी आवेदन को त्रुटि के कारण खारिज करना या उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना ;

(ज) त्रुटि के कारण किसी आवेदन के खारिज करने के आदेश को या अपने द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किए गए किसी आदेश को अपास्त करना ; और

(झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

1860 का 45

(3) अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा उसकी धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अपील अधिकरण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

1974 का 2

अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का डिक्री के रूप में निष्पाद्य होना ।

74. (1) इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश, अपील अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पाद्य होगा और इस प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण, उसके द्वारा किए गए किसी आदेश को, स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को संप्रेषित कर सकेगा और ऐसा सिविल न्यायालय वह आदेश इस प्रकार निष्पादित करेगा मानों वह उस न्यायालय द्वारा दी गई कोई डिक्री हो ।

1908 का 5

उच्चतम न्यायालय को अपील ।

75. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण के किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है किसी सारवान विधि के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय को अपील होगी ।

(2) अपील अधिकरण द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस विनिश्चय या आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील करने में पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था तो नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार ।

76. आवेदक या अपीलकर्ता, अपील अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं हाजिर हो सकेगा या एक या अधिक विधि व्यवसायियों को या अपने अधिकारियों में से किसी एक को प्राधिकृत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विधि व्यवसायी" के अंतर्गत कोई अधिवक्ता या कोई अटर्नी है और इसके अंतर्गत व्यवसायरत प्लीडर भी है ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता न होना ।

77. किसी सिविल न्यायालय की ऐसे किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसकी बाबत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपील अधिकरण अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा व्यादेश प्रदान नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

78. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को ऐसी धनराशियों का अनुदान, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे, दे सकेगी ।

भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण निधि ।

79. (1) भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

(क) प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार ; और

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं प्राप्त सभी राशियां ।

(2) डाटा संरक्षण प्राधिकरण निधि का उपयोजन निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा—

(i) अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, प्राधिकरण द्वारा नियुक्त परामर्शियों और विशेषज्ञों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिकों; और

(ii) उसके कृत्यों के निर्वहन के संबंध में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के अन्य व्यय ।

लेखा और संपरीक्षा ।

80. (1) प्राधिकरण, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को की जाएगी ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के और प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के, उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में हैं और उसे विशिष्टतया बहियां, लेखाओं, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के किन्हीं कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

विवरणियां, आदि का केन्द्रीय सरकार को दिया जाना ।

81. (1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से जो विहित की जाए या जो केन्द्रीय सरकार निदेश दें, वैयक्तिक डाटा संरक्षण के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्थापित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में ऐसी विवरणियां और विवरण (जिसके अंतर्गत की गई प्रवर्तन कारवाई संबंधी विवरण भी है) तथा ऐसी विशिष्टियां देगा, जिसकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण होगा और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी ।

अध्याय 13

अपराध

वैयक्तिक डाटा की विपहचान की पुन: पहचान और प्रक्रमण ।

82. (1) कोई व्यक्ति, जो जानते हुए या साशय डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता की सहमति के बिना—

(क) वैयक्तिक डाटा की जिसकी यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा विपहचान की गई है पुन: पहचान करेगा ; या

(ख) खंड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे वैयक्तिक डाटा की पुन: पहचान करेगा,

वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस धारा के अधीन किसी दंड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि—

(क) ऐसा वैयक्तिक डाटा उपधारा (1) के अधीन अपराध से आरोपित व्यक्ति का है ; या

(ख) ऐसे डाटा स्वामी ने, जिसका वैयक्तिक डाटा प्रश्नगत है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी पुनः पहचान या प्रक्रमण के लिए सुस्पष्ट सहमति दे दी थी ।

1974 का 2

अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।

83. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

(2) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, प्राधिकरण द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय नहीं करेगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

84. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी

के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) कोई फर्म ; और

(ii) व्यक्तियों का संगम या कोई व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो ;

(ख) निदेशक से—

(i) फर्म के संबंध में, फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ;

(ii) व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के संबंध में, उसके कामकाज का नियंत्रण रखने वाला कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

राज्य द्वारा अपराध ।

85. (1) जहां यह साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, राज्य के किसी विभाग या प्राधिकरण या निकाय द्वारा किया गया है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, वहां ऐसे विभाग या प्राधिकरण या निकाय के प्रमुख को अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य के किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध किसी विभाग या प्राधिकरण के प्रमुख से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या

उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां वह अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, लोक सेवकों से संबंधित, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध लागू होते रहेंगे । 1974 का 2

अध्याय 14

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

86. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझे ।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार उसे लिखित में समय-समय पर दें :

परंतु प्राधिकरण को, जहां तक साध्य हो, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय, चाहे प्रश्न नीति संबंधी हो या न हो, अंतिम होगा ।

सदस्यों, आदि का लोक सेवक होना ।

87. प्राधिकरण और अपील अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य किया जाना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं । 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

88. इस अधिनियम या उसके अधीन विहित नियमों या विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, प्राधिकरण या उसके अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

आय पर कर से छूट । 1961 का 43

89. आय-कर अधिनियम, 1961 या, यथास्थिति, आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, अपनी आय, व्युत्पन्न लाभ या अभिलाभ के संबंध में आय- कर या किसी अन्य कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा ।

प्रत्यायोजन ।

90. प्राधिकरण, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, धारा 94 के अधीन शक्तियों को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

अधिनियम में डिजिटल अर्थव्यवस्था, आदि के लिए नीतियों की विरचना के संवर्धन के लिए कार्रवाई करना ।

91. (1) इस अधिनियम की कोई बात केन्द्रीय सरकार को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए, जिसके अंतर्गत उसका विकास, सुरक्षा, अखंडता, दुरुपयोग का निवारण भी है, कोई नीति, जहां तक वह नीति वैयक्तिक डाटा को शासित नहीं करती है, विरचित करने से निवारित नहीं करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की परामर्श से किसी डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवाओं में उच्चतर लक्ष्यित परिदान को या साक्ष्य आधारित नीतियो की विरचना हेतु समर्थ बनाने के लिए किसी अनामी वैयक्तिक डाटा या ऐसा अन्य डाटा जो वैयक्तिक नहीं है, उपलब्ध कराने का निदेश दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "ऐसा डाटा जो वैयक्तिक नहीं है" पदसे वैयक्तिक डाटा से भिन्न कोई डाटा अभिप्रेत है ।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा दिए गए निदेशों का वार्षिक रूप से प्रकटन करेगा ।

बायोमैट्रिक डाटा के कतिपय प्ररूपों के प्रक्रमण का वर्जन ।

92. कोई डाटा विश्वासी ऐसे बायोमैट्रिक डाटा का प्रक्रमण, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, तब तक नहीं करेगा, जब तक उसका प्रक्रमण विधि द्वारा अनुज्ञात न किया जाए ।

नियम बनाने की शक्ति ।

93. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 15 के अधीन संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के कोई अन्य प्रवर्ग ;

(ख) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन विचार किए जाने वाले अन्य कारक ;

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग किए जाने के लिए कोई आवेदन किया जा सकेगा और उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के पुनर्विलोकन की रीति ;

(घ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन सामाजिक मीडिया के उपभोक्ताओं की स्वेच्छया पहचान करने की पद्धति और उपधारा (4) के अधीन स्वेच्छया सत्यापित उपभोक्ता का पहचान चिह्न ;

(ङ) वह रीति, जिसमें धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन कोई परिवाद फाइल की जा सकेगी ;

(च) देश या अंतरराष्ट्रीय संगठनों की ऐसी इकाई या इकाइयों का वर्ग जिनके लिए धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अंतरण अनुज्ञात किए जा सकेंगे ;

(छ) धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण के मुख्यालय का स्थान ;

(ज) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(झ) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा उसमें कार्य संचालन के संबंध में नियम और प्रक्रियाएं ;

(ट) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन प्राधिकरण के अन्य कृत्य ;

(ठ) धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन व्यवहार संहिता जारी करने की प्रक्रिया उसकी उपधारा (7) के अधीन वह रीति, जिसमें प्राधिकरण उसका पुनर्विलोकन, उपांतरण या प्रतिसंहरण कर सकेगा ;

(ड) धारा 53 की उपधारा (8) के खंड (ङ) के अधीन अन्य विषय, जिसके संबंध में प्राधिकरण को शक्तियां प्राप्त होंगी ;

(ढ) धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति और निबंधन, उनकी अधिकारिता और अन्य अपेक्षाएं ;

(ण) वह रीति, जिसमें धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी कोई जांच करेगा ;

(त) धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन की परिवाद करने का प्ररूप और रीति तथा उसकी उपधारा (8) के अधीन परिवाद की सुनवाई की प्रक्रिया और प्रतिकर की सीमा ;

(थ) धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और किसी सदस्य की नियुक्ति की रीति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, हटाए जाने की रीति तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(द) धारा 69 के अधीन अपील अधिकरण में रिक्तियों को भरे जाने की प्रक्रिया ;

(ध) धारा 70 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ;

(न) धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, अपील अधिकरण को, यथास्थिति, अपील या आवेदन फाइल करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(प) अपील अधिकरण की शक्तियों के संबंध में धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन अन्य विषय ;

(फ) धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं, अन्य सुसंगत अभिलेखों और लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप, वह अंतराल जिस पर प्राधिकरण के लेखाओं की उपधारा (2) के अधीन संपरीक्षा की जाएगी;

(ब) वह समय, जिसमें और वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को विवरणियां, विवरण और विशिष्टियां तथा उसकी उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट दी जाएगी ;

(भ) वह रीति, जिसमें केन्द्रीय सरकार, कोई निदेश जारी कर सकेगी जिसके अन्तर्गत ऐसा विनिर्दिष्ट प्रयोजन भी है जिसके लिए धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन डाटा की ईप्सा की गई है और उपधारा (3) के अधीन ऐसे निदेशों के प्रकटन का प्ररूप ; या

(म) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

94. (1) प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से अंसगत न हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा उसकी सूचना में डाटा स्वामी को उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित जानकारी ;

(ख) वह रीति, जिसमें धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा प्रतिधारित वैयक्तिक डाटा को हटाया जाएगा ;

(ग) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन डाटा स्वामियों के अधिकारों की संरक्षा के लिए रक्षोपाय ;

(घ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त रक्षोपाय या निर्बन्धन;

(ङ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन किसी बालक के माता-पिता या संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करने की रीति, उपधारा (3) के अधीन किसी बालक की आयु के सत्यापन की रीति, उपधारा (6) के अधीन डाटा विश्वासियों को काउंसलिंग या बाल संरक्षण सेवाओं का प्रस्ताव करने के लिए उपांतरित प्ररूप में उपबंध का लागू किया जाना ;

(च) वह अवधि, जिसके भीतर धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन डाटा विश्वासी अनुरोध प्राप्त होने की अभिस्वीकृति देगा, उपधारा (2) के अधीन प्रभारित फीस, वह अवधि, जिसके भीतर उपधारा (3) के अधीन अनुरोध का पालन किया जाएगा और वह अवधि और रीति, जिसमें कोई डाटा स्वामी उपधारा (4) के अधीन परिवाद फाइल कर सकेगा ;

(छ) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन डिजाइन नीति द्वारा निजता प्रस्तुत करने की रीति ;

(ज) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन सहमति प्रबंधक के रजिस्ट्रीकरण की रीति और तकनीकी, संक्रियात्मक, वित्तीय और अन्य शर्तें और अनका अनुपालन ;

(झ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रजिस्ट्रीकरण की रीति ;

(ञ) ऐसी परिस्थितियां या डाटा विश्वासियों के वर्ग या प्रक्रमण संक्रियाएं, जहां डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण आज्ञापक होंगे और ऐसे उदाहरण, जहां धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन डाटा संपरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी और वह रीति, जिसमें उपधारा (4) के अधीन डाटा संरक्षा अधिकारी डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण का पुनर्विलोकन करेगा और प्राधिकरण को रिपोर्ट देगा ;

(ट) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों के अनुरक्षण का प्ररूप और रीति और प्रक्रमण का कोई अन्य पहलू जिसके लिए अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाएगा ;

(ठ) धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (छ) अधीन विचार में लिए जाने वाले अन्य कारक ; उपधारा (3) के अधीन संपरीक्षाएं करने का प्ररूप और प्रक्रिया ; उपधारा (4) के अधीन संपरीक्षकों के रजिस्ट्रीकरण की रीति ; ऐसे मानदंड जिनके आधार पर धारा 29 की उपधारा (6) के अधीन किसी डाटा विश्वासी की डाटा विश्वास अंक के रूप में रेटिंग की जाएगी ;

(ड) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन डाटा संरक्षा अधिकारी की अर्हता और अनुभव ;

(ढ) वह अवधि, जिसके भीतर धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण वैयक्तिक डाटा का अंतरण अधिसूचित करेगा ;

(ण) अधिनियम के उपबंध और अनुसंधान के वर्ग अभिलेखागार या सांख्यिकीय प्रयोजन, जो धारा 38 के अधीन छूट प्राप्त हो सकेंगे ;

(त) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों, कर्मचारियों, परामर्शियों और विशेषज्ञों का पारिश्रमिक, वेतन या भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(थ) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन व्यवहार संहिता ;

(द) धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा प्राधिकरण को सूचना उपलब्ध करवाने का प्ररूप और रीति ;

(ध) कोई अन्य विषय, जिनको विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जो विनिर्दिष्ट किए जाए या जिनके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध बनाए जाने हैं या उपबंध किया जाए ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

95. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम और धारा 67 की उपधारा (4) के अधीन जारी अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा या रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए या

अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा या हो जाएगी । किंतु नियम या विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

96. इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

97. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

2000 के अधिनियम संख्यांक 21 का संशोधन ।

98. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 98 देखिए)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का संशोधन

(2000 का 21)

धारा 43क का लोप ।

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 43क का लोप किया जाएगा ।

धारा 87 का संशोधन ।

2. मूल अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (णख) का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य बनाम भारत संघ (2012 की रिट याचिका संख्या 494) के मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों वाली सांविधानिक न्यायपीठ ने तारीख 24 अगस्त, 2017 को अपना निर्णय देते हुए "निजता" को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मूल अधिकार के रूप में घोषित किया था । तत्पश्चात् 26 सितम्बर, 2018 को उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों वाली सांविधानिक न्यायपीठ ने उपरोक्त मामले में अपना अंतिम निर्णय देते हुए एक सख्त डाटा संरक्षण प्रणाली बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया था ।

2. सरकार ने तारीख 31 जुलाई, 2017 को डाटा संरक्षण संबंधी विषयों की परीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में "डाटा संरक्षण विशेषज्ञों समिति" का गठन किया गया था । उक्त समिति ने डाटा संरक्षण संबंधी विषयों की परीक्षा की और 27 जुलाई, 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और विभिन्न पणधारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, एक विधान अर्थात् वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 अधिनियमित करने का प्रस्ताव है ।

3. प्रस्तावित विधान, भारत के लिए एक मजबूत और सख्त डाटा संरक्षण ढांचा बनाने के लिए और वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए तथा नागरिकों को, "निजता और वैयक्तिक डाटा के संरक्षण" के उनके मूल अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उनके वैयक्तिक डाटा से संबंधित अधिकारों को सशक्त करने के लिए है ।

4. डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 में, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

(i) सहमति रूपरेखा, उद्देश्य परिसीमा, भंडारण परिसीमा और डाटा न्यूनीकरण जैसी संकल्पनाओं का संवर्धन करने के लिए ;

(ii) केवल ऐसे डाटा का जो किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और व्यष्टि (डाटा स्वामी) की स्पष्ट सहमति से संग्रहण करने हेतु वैयक्तिक डाटा का संग्रहण करने वाली इकाइयों (डाटा विश्वासी) के संबंध मे बाध्यताएं अधिकथित करने के लिए ;

(iii) व्यष्टि को वैयक्तिक डाटा अभिप्राप्त करने, गलत डाटा को सही करने, डाटा को मिटाने, डाटा को अध्यतन करने, अन्य विश्वासी को डाटा पोर्ट करने और वैयक्तिक डाटा के प्रकटन को सीमित करने या रोकने के अधिकार प्रदत्त करने के लिए ;

(iv) "भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण" (प्राधिकरण) नामक एक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और छह से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

(v) यह उपबंध करने के लिए कि प्राधिकरण डाटा स्वामियों के हितों का

संरक्षण करेगा, वैयक्तिक डाटा के दुरुपयोग का निवारण करेगा, प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और डाटा संरक्षण के बारे में जागरुकता का संवर्धन करना ;

(vi) ऐसे "सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती" से संबंधित उपबंध विनिर्दिष्ट करना जिसके कार्यों का निर्वाचन लोकतंत्र, राज्य के सुरक्षा, भारत की लोक व्यवस्था या प्रभुता और अखंडता पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा और केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से उक्त मध्यवर्ती को महत्पूर्ण डाटा विश्वासी के रूप में अधिसूचित करने के लिए सशक्त होगी ;

(vii) डाटा स्वामी को, डाटा विश्वासी को प्रतितोष के विरुद्ध शिकायत करने के लिए "प्रतितोष का अधिकार" प्रदत्त करना और यदि वह ऐसे डाटा विश्वासी के विनिश्चय से व्यथित है तो वह प्राधिकरण को शिकायत कर सकेगा ;

(viii) केन्द्रीय सरकार को, प्रस्तावित विधान के लागू होने से सरकार के अभिकरण को छूट देने हेतु सशक्त करना ;

(ix) प्राधिकरण को डाटा संरक्षण के सुव्यवहार के संवर्धन और इस विधान के अधीन बाध्यताओं के पालन को सुकर बनाने हेतु "आचरण संहिता" विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करना ;

(x) इस विधान के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्तियों के न्यायनिर्णयन और अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर के प्रयोजन के लिए "न्यायनिर्णायक अधिकारी" को नियुक्त करना ;

(xi) खंड 54 के अधीन प्राधिकरण और खंड 63 और खंड 64 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से हुई किसी अपील की सुनवाई और निपटारा करने के लिए "अपील अधिकरण" की स्थापना करना ;

(xii) प्रस्तावित विधान के उपबंधों के उल्लंघन के लिए "जुर्माने और शास्तियां" अधिरोपित करना ।

5. खंडों पर टिप्पण, विधेयक में अन्तर्विष्ट भिन्न-भिन्न उपबंधों के ब्यौरों को स्पष्ट करते हैं ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **रविशंकर प्रसाद**

5 दिसम्बर, 2019

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड अधिनियम के संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के लिए उपबंध करता है ।

खंड 2—यह खंड भारतीयों के वैयक्तिक डाटा के संबंध में अधिनियम के लागू करने को स्पष्ट और सुरक्षित करता है और खंड 91 अनाम डाटा के प्रक्रमण को लागू नहीं होगा ।

खंड 3—यह खंड अधिनियम में आने वाले कतिपय पदों को परिभाषित करता है । खंड 4. यह खंड स्पष्ट और विधिपूर्ण प्रयोजन के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को रोकने के लिए है ।

खंड 5—यह खंड डाटा प्रधान या जो आनुषंगिक हो या उससे संबद्ध हो उसके द्वारा सहमत प्रयोजन के लिए वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण को सीमित करने के लिए है ।

खंड 6—यह खंड वैयक्तिक डाटा के संग्रहण पर सीमा अधिकृत करने के लिए है जो यह विनिर्दिष्ट करती है कि इसे उस सीमा तक विस्तार किया जाए जो आवश्यक है ।

खंड 7—यह खंड वैयक्तिक डाटा की संग्रहण या प्रक्रमण के लिए सूचना की अपेक्षा को अधिकथित करने के लिए है और विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए है जिसे डाटा प्रधान को सूचना देने में अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए ।

खंड 8—यह खंड यह अधिकथित करता है कि डाटा विश्वासी को वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण की क्वालिटी को सुनिश्चित करना चाहिए ।

खंड 9—यह खंड वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण पर निर्बंधन अधिकथित करता है सिवाय उसके जो आवश्यक है ।

खंड 10—यह खंड डाटा विश्वासी पर इस अधिनियम के बंधुओं के पालन करने के लिए ज़िम्मेदारी को अधिकथित करता है ।

खंड 11—यह खंड सहमति के विभिन्न पहलुओं को प्रतिपादित करता है जो वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आवश्यक हैं ।

खंड 12—यह खंड कतिपय मामलों को तैयार करता है जो सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए उपबंध करता है ।

खंड 13—यह खंड नियोजन से संबंधित प्रयोजनों के लिए आवश्यक वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का उपबंध करता है ।

खंड 14—यह खंड अन्य युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए उपबंध करता है जिसके लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जा सकता है ।

खंड 15—यह खंड वैयक्तिक डाटा का संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में प्रवर्गीकरण करने और ऐसे प्रवर्गीकरण के लिए मानदंड को तैयार करने के लिए है ।

खंड 16—यह खंड ऐसे डाटा विश्वासी पर बाध्यता का उपबंध करता है जो बालकों के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करता है ।

खंड 17—यह खंड डाटा स्वामी के लिए उसके वैयक्तिक डाटा की पुष्टि और पहुंच के अधिकार का उपबंध करता है ।

खंड 18—यह खंड डाटा स्वामी को उसके वैयक्तिक डाटा का संशोधन और मिटाने के अधिकार का उपबंध करता है ।

खंड 19—यह खंड डाटा स्वामी से किसी डाटा विश्वासी के डाटा सुग्राह्यता के अधिकार का उपबंध करता है ।

खंड 20—यह खंड डाटा स्वामी को क्षमा किए जाने के अधिकार का उपबंध करता है ।

खंड 21—यह खंड खंड 17 से 20 में अधिकारों के प्रयोग के लिए साधारण शर्तें अधिकथित करता है ।

खंड 22—यह खंड डिजाइन नीति द्वारा निजता के घटक को तैयार करने के लिए है ।

खंड 23—यह खंड डाटा स्वामी को सूचित करने और उपलब्ध जानकारी देने के लिए विश्वासी की अपेक्षा के द्वारा वैयक्तिक डाटा को प्रक्रमण करने में पारदर्शिता की अपेक्षा करने के लिए है।

खंड 24— यह खंड आवश्यक सुरक्षा रक्षोपाय के क्रियान्वयन के लिए डाटा विश्वासी से अपेक्षा करने के लिए है।

खंड 25—यह खंड किसी वैयक्तिक डाटा के भंग होने के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करने के लिए डाटा विश्वासी से अपेक्षा करने के लिए है ।

खंड 26—यह खंड महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में कतिपय डाटा विश्वासियों के वर्गीकरण का उपबंध करता है जिसके अन्तर्गत कतिपय सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती भी हैं ।

खंड 27—यह खंड महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों से डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण को अपनाने की अपेक्षा करने के लिए है ।

खंड 28—यह खंड महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों से पर्याप्त और अद्यतन अभिलेखों का अनुरक्षण करने की अपेक्षा करने के लिए है जिसके अन्तर्गत सामाजिक मीडिया मध्यवर्तियों से स्वेच्छापूर्ण सत्यापन क्रियाविधि के लिए उपबंध करने की अपेक्षा भी है ।

खंड 29— यह खंड महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों से अपनी नीतियों को रखने और डाटा संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा कराने की अपेक्षा करने के लिए है ।

खंड 30—यह खंड महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों से डाटा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करने की अपेक्षा करने के लिए है।

खंड 31—यह खंड डाटा विश्वासियों से अन्य डाटा प्रक्रमणकर्ताओं द्वारा कार्यवाहियों के लिए संविदा सुनिश्चित करने की अपेक्षा करने के लिए है।

खंड 32—यह खंड प्रत्येक डाटा विश्वासी द्वारा शिकायत निवारण क्रियाविधि की अपेक्षा करने के लिए है ।

खंड 33—यह खंड भारत के बाहर संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और संकटपूर्ण

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का प्रतिषेध करने के लिए है ।

खंड 34—यह खंड ऐसी शर्तों को तैयार करने के लिए है जिसके अधीन संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा को भारत के बाहर अंतरित किया जा सके।

खंड 35—यह खंड केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के लागू होने से सरकार के किसी अभिकरण को छूट देने की शक्ति के लिए है ।

खंड 36—यह खंड वैयक्तिक डाटा के कतिपय प्रक्रमण के लिए कतिपय उपबंधों से छूट प्रदान करने का उपबंध करता है ।

खंड 37—यह खंड यह स्पष्ट करने के लिए है कि सरकार की कतिपय प्रक्रमणकर्ताओं को छूट देने के लिए है जो इस अधिनियम के लागू होने से विदेशियों का डाटा प्रक्रमण करते हैं ।

खंड 38—यह खंड छूट प्रदान करने का उपबंध करता है जब वैयक्तिक डाटा अनुसंधान, अभिलेखाकारण या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए प्रक्रमण किया जाता है ।

खंड 39—यह खंड लघु इकाइयों के लिए छूट प्रदान करने का उपबंध करता है जो वैयक्तिक डाटा के हस्त प्रक्रमण में लगा हुआ है ।

खंड 40—यह खंड सेंडबॉक्स के लिए उपबंध करता है जो किसी विनियामक अतिक्रमण के बिना नये विचार और पहुंच को प्रसुविधा प्रदान कर सकता है ।

खंड 41—यह खंड एक विनियामक अर्थात् भारतीय डाटा संरक्षण (प्राधिकरण) को स्थापित करने के लिए है ।

खंड 42—यह खंड प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उनके चयन की पद्धति के लिए गठन और अर्हताएं सुनिश्चित करने के लिए है ।

खंड 43—यह खंड प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तों को तैयार करने के लिए है ।

खंड 44—यह खंड ऐसी शर्तों को तैयार करने को है जिसके अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को हटाया जा सकता है ।

खंड 45—यह खंड अधिकथित करता है कि प्राधिकरण की शक्तियां अध्यक्ष में होती है ।

खंड 46—यह खंड प्राधिकरण की बैठक से संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 47—यह खंड उपबंध करता है कि रिक्तियों, अनियमित कार्यवाहियों, आदि के कारण प्राधिकरण की कार्यवाहियों अविधिमान्य नहीं होंगीं ।

खंड 48—यह खंड प्राधिकरण को अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

खंड 49—यह खंड प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों को तैयार करने के लिए है ।

खंड 50—यह खंड प्राधिकरण से डाटा प्रक्रमण के अच्छे व्यवहार का संवर्धन करने के लिए व्यवहार संहिता को निर्दिष्ट करने की अपेक्षा करने के लिए है ।

खंड 51—यह खंड प्राधिकरण को किसी डाटा विश्वासी द्वारा उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 52—यह खंड प्राधिकरण को किसी डाटा विश्वासी से जानकारी मांगने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 53—यह खंड प्राधिकरण को डाटा विश्वासी के मामले में जांच करने के लिए सशक्त करता है।

खंड 54—यह खंड विभिन्न कार्रवाई करने के लिए है जो जांच के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा की जा सकती हो ।

खंड 55—यह खंड प्राधिकरण के जांच अधिकारी को दस्तावेजों, अभिलेखों, आदि के तलाशी और अभिग्रहण के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है ।

खंड 56—यह खंड प्राधिकरण और अन्य विनियामकों के बीच समन्वय का उपबंध करता है ।

खंड 57—यह खंड अधिनियम के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्तियों को तैयार करने के लिए है ।

खंड 58—यह खंड डाटा स्वामी के अनुरोध के अनुपालन में असफलता के लिए शास्तियों को तैयार करने के लिए है ।

खंड 59—यह खंड प्राधिकरण को रिपोर्ट, विवरणियां, जानकारी, आदि को देने के लिए डाटा विश्वासी की असफलता के लिए शास्ति तैयार करने के लिए है ।

खंड 60—यह खंड प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश या आदेश के अनुपालन के लिए डाटा विश्वासी की असफलता के लिए शास्ति तैयार करने के लिए है ।

खंड 61—यह खंड इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्ति तैयार करने के लिए है जहां पृथक् रूप से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है ।

खंड 62—यह खंड शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 63—यह खंड न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया को अधिकथित करता है।

खंड 64—यह खंड अपहानि सहन करने के मामले में डाटा विश्वासी से प्रतिकर के लिए डाटा स्वामी के अधिकार के लिए उपबंध करता है ।

खंड 65—यह खंड सुनिश्चित करता है कि इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर या शास्तियां किसी अन्य शास्ति या दंड को बाधित नहीं करेगी ।

खंड 66—यह खंड अधिकथित करता है कि इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली शास्तियां या प्रतिकर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती हैं ।

खंड 67—यह खंड अपील अधिकरण की स्थापना से संबंधित उपबंधों को अधिकथित करने के लिए है ।

खंड 68—यह खंड अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं और नियुक्ति, अवधि और सेवा की शर्तों को तैयार करने के लिए है ।

खंड 69—यह खंड अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यालय में रिक्तियों को भरे जाने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 70—यह खंड अपील अधिकरण के कर्मचारीबद्ध का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 71—यह खंड अपील अधिकरण के विभिन्न न्यायपीठों के बीच कामकाज का वितरण करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 72—यह खंड प्राधिकरण के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील अधिकरण को अपील करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 73—यह खंड अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों को अधिकथित करने के लिए है ।

खंड 74—यह खंड उपबंध करता है कि अपील अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।

खंड 75—यह खंड अपील अधिकरण के किसी आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय को कोई अपील करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 76—यह खंड आवेदक या अपीलकर्ता को स्वयं या प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करता है ।

खंड 77—यह खंड अधिकथित करता है कि किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले में जो अपील अधिकरण के अधिकार के भीतर आता है उस पर किसी वाद को ग्रहण करने के लिए अधिकारिता नहीं होंगी ।

खंड 78—यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरणों के लिए अनुदानों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 79—यह खंड डाटा संरक्षण प्राधिकरण निधि का गठन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 80—यह खंड प्राधिकरण से अपेक्षा करता है कि वह उचित लेखा रखे जिसका भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाती है ।

खंड 81—यह खंड प्राधिकरण से अपेक्षा करता है कि वह केन्द्रीय सरकार के लिए विवरणियां, कथन आदि तैयार करे ।

खंड 82—यह खंड व्यैक्तिक डाटा की विपहचान की पुन: पहचान के अपराध के लिए दण्ड़ तैयार करने के लिए है ।

खंड 83—यह खंड अधिकथित करता है कि खंड 82 में अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय बनाने के लिए है ।

खंड 84—यह खंड कम्पनियों द्वारा अपराध के किए जाने के संबंध में उपबंधों को तैयार करने के लिए है ।

खंड 85—यह खंड किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार विभाग या अधिकरण

द्वारा किसी अपराध के किये जाने के संबंध में उपबंधों को तैयार करने के लिए है ।

खंड 86—यह खंड केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण के लिए निदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 87—यह खंड प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों आदि का लोक सेवक होने के लिए है जब वे अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्रवाई करते है ।

खंड 88—यह खंड सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई में इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में प्राधिकरण, सदस्य, कर्मचारियों को संरक्षण देने के लिए है ।

खंड 89—यह खंड प्राधिकरण को उनकी आय, लाभ के संबंध में आय पर कर से छूट देने के लिए है ।

खंड 90—यह खंड प्राधिकरण को किसी सदस्य या अधिकारी के उसकी शक्तियों या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने के लिए सशक्त बनाता है ।

खंड 91—यह खंड केन्द्रीय सरकार को गैर व्यैक्तिक डाटा के संबंध में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नीतियां विरचित करने के लिए सशक्त बनाता है ।

खंड 92—यह खंड बायोमैट्रिक डाटा के कतिपय रूपों के प्रक्रमण का वर्जन करने के लिए है जब तक विधि द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

खंड 93—यह खंड केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करके नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 94—यह खंड प्राधिकरण को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ विनियमों को बनाने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 95—यह खंड अपेक्षा करता है कि इस अधिनियम के अधीन नियमों और विनियमों को इस अधिनियम के अधीन संसद के समक्ष रखा जाता है ।

खंड 96—यह खंड किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव के लिए उपबंध करता है ।

खंड 97—यह खंड केन्द्रीय सरकार को कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 98—यह खंड सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का संशोधन करने के संबंध में उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

खंड 43 का उपखंड (2) प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय का उपबंध करता है।

2. खंड 48 का उपखंड (2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संदाय का उपबंध करता है ।

3. खंड 68 का उपखंड (2) अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय का उपबंध करता है ।

4. खंड 70 का उपखंड (3) अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संदाय का उपबंध करता है ।

5. पूर्वोक्त उपबंधों के लिए, इसमें भारत की संचित निधि से सौ करोड़ रूपए का (आवर्ती या अनावर्ती) व्यय अंतर्वलित होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 93 निम्नलिखित के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है—धारा 15 के अधीन संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का प्रवर्गीकरण ;(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन बालक की आयु का सत्यापन;(ग) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन क्षमा करने के अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति और धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के पुनर्विलोकन की रीति; (घ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन सोशल मीडिया उपयोक्ताओं की स्वैच्छिक पहचान की पद्धति और उपधारा (4) के अधीन स्वेच्छया सत्यापित उपयोगिता के सत्यापन का पहचान चिन्ह; (ङ) वह रीति जिसमें धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन शिकायत निवारण के संबंध में परिवाद फाईल किया जा सकेगा; (च) किसी देश में कोई अस्तित्व या अस्तित्व का वर्ग अथवा अंतराष्ट्रीय संगठन जिन्हें धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अंतरण अनुज्ञात किये जा सकेंगे; (छ) धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय का स्थान; (ज) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; (झ) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; (ञ) धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन कोई जाँच करने के लिए प्रक्रिया; (ट) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा कारबार के संव्यवहार के संबंध में नियम और प्रक्रियाएं; (ठ) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन प्राधिकरण के अन्य कृत्य; (ड) धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन व्यवहार संहिता जारी करने की प्रक्रिया, उपधारा (7) के अधीन वह रीति जिसमें प्राधिकरण व्यवहार संहिता का पुर्नविलोकन, उपांतरण या वापस ले सकेगा; (ढ) धारा 53 की उपधारा (8) के खंड (ङ) के अधीन अन्य विषय जिनके संबंध में प्राधिकरण को शक्तियां होगीं; (ण) धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन न्याय निर्णायक अधिकारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति और निबंधन, उनकी अधिकारिता और अन्य अपेक्षाएं; (त) धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें न्यायनिर्णायक अधिकारी जाँच करेगा; (थ) धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत करने का प्ररूप और रीति तथा उपधारा (8) के अधीन शिकायत की सुनवाई की प्रक्रिया; (द) धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और किसी सदस्य की नियुक्ति, पद के निबंधन, वेतन और भत्ते, पद-त्याग, हटाने की रीति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; (ध) धारा 69 के अधीन अपील अधिकरण में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया; (न) धारा 70 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें; (प) धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण को यथास्थिति, अपील या आवेदन फाईल करने का प्ररूप, रीति और फीस; (फ) अपील अधिकरण की शक्तियों के संबंध में धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन अन्य विषय; (ब) धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन लेखा का प्ररूप, अन्य सुसंगत अभिलेख तथा लेखा का वार्षिक

विवरण, उपधारा (2) के अधीन वे अंतराल जिनमें प्राधिकरण के लेखों की संपरीक्षा की जाएगी; (भ) धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन वह समय जिसमें तथा वह प्ररूप और रीति जिसमें विवरणी, कथन और विशिष्टियां तथा उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जानी है; (म) धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें केन्द्रीय सरकार निदेश जारी कर सकेगी, जिसके अंतर्गत वे विशिष्ट प्रयोजन भी है जिनके लिए डाटा चाहा गया है और उपधारा (3) के अधीन ऐसे निदेशों के प्रकटन के लिए प्ररूप; (य) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाए ।

2. विधेयक का खंड 94, केन्द्रीय सरकार पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को निम्नलिखित के लिए उपबंध करने हेतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है— (क) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा अपने नोटिस में डाटा स्वामी को प्रदान की जाने वाली अपेक्षित सूचना; (ख) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति जिसमें डाटा विश्वासी द्वारा प्रतिधारित वैयक्ति डाटा हटा दिया जाना चाहिए; (ग) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन डाटा स्वामियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए रक्षोपाय; (घ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त रक्षोपाय या निर्वंधन; (ङ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन बालक के माता/पिता या पालक की सहमति प्राप्त करने की रीति, उपधारा (3) के अधीन बालक की आयु के सत्यापन की रीति, उपधारा(6) के अधीन परामर्श या बालक संरक्षण सेवाएं देने वाले डाटा विश्वासियों के उपांतरित रूप में उपबंध का लागू होना; (च) धारा 21 की उपधारा (1)के अधीन वह अवधि जिसके भीतर डाटा विश्वासी को अनुरोध की प्राप्ति का पृष्ठांकन करना चाहिए, उपधारा (2) के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस, उपधारा (3) के अधीन वह अवधि जिसके भीतर अनुरोध का अनुपालन किया जाना है, और उपधारा (4) के अधीन वह रीति और अवधि जिसके भीतर डाटा स्वामी शिकायत फाईल कर सकेगा; (छ) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन डिजाइन नीति द्वारा निजता प्रस्तुत करने की रीति; (ज) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन सहमति प्रबंधक के रजिस्ट्रीकरण के लिए रीति तथा तकनीकी, प्रचालन, वित्तीय और अन्य शर्तें; (झ) धारा 26 उपधारा (2) के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासीयों के रजिस्ट्रीकरण की रीति; (ञ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन वे परिस्थितियां या डाटा विश्वासियों के वर्ग या प्रक्रमण प्रचालन जहां डाटा संरक्षण संघात मूल्यांकन बाध्यकारी होगा और वे दृष्टांत जहां डाटा संपरीक्षक नियुक्त किया जाएगा, और उपधारा (4) के अधीन वह रीति जिसमें डाटा संरक्षण अधिकारी डाटा संरक्षण संघात मूल्यांकन का पुनर्विलोकन करेगा और उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा; (ट) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों के अनुरक्षण का प्ररूप और रीति तथा प्रक्रमण का कोई अन्य पहलू जिसके लिए अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाएगा; (ठ) धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन ध्यान में रखे जाने वाले अन्य कारक, उपधारा (3) के अधीन संपरीक्षा करने के लिए प्ररूप और प्रक्रिया, उपधारा (4) के अधीन संपरीक्षकों के रजिस्ट्रीकरण की रीति, उपधारा (6) के अधीन वह मापदंड जिसके आधार पर डाटा ट्रस्ट स्कोर के रूप में डाटा विश्वासी को रेटिंग दी

जा सकेगी; (ड) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन डाटा संरक्षण अधिकारी की अर्हता और अनुभव; (ढ) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन वह अवधि जिसके भीतर वैयक्तिक डाटा का अंतरण प्राधिकरण को अधिसूचित किया जाएगा; (ण) धारा 38 के अधीन अधिनियम के उपबंध और अनुसंधान, अभिलेखागारण या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए जिन्हें छूट दी जा सकेगी; (त) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों, परार्मशदाताओं और विशेषज्ञों के मानदेय, वेतन या भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; (थ) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन व्यवहार संहिता; (द) धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा प्राधिकरण को सूचना प्रदान करने का प्ररूप और रीति; और (ध) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या जो विहित किया जाएं या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में पूर्वोक्त नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय और उनके लिए प्रस्तावित विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नही हैं । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 21) से उद्धरण

* * * * * *

डाटा को संरक्षित रखने में असफलता के लिए प्रतिकर ।

43क. जहां कोई निगमित निकाय ऐसे किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना को रखता है, उसका संव्यवहार करता है या उसको संभालता है जो उसके स्वामित्व में, नियंत्रण में है या जिसका वह प्रचालन करता है, युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन और अनुरक्षण में उपेक्षा करता है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष लाभ पहुंचाता है, वहां ऐसा निगमित निकाय, इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "निगमित निकाय" से कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाणिज्यिक या वृत्तिक क्रियाकलापों में लगी हुई फर्म, एकल स्वामित्व या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम भी है;

(ii) "युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं" से ऐसी अप्राधिकृत पहुंच, नुकसानी, उपयोग, उपांतरण, प्रकटन या ह्रास, जो, यथास्थिति, पक्षकारों के बीच किसी करार में विनिर्दिष्ट किया जाए या जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी सूचना को संरक्षित करने के लिए अभिकल्पित सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाएं और ऐसे करार या किसी विधि के अभाव में, ऐसी युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे वृत्तिक निकायों या संगमों के परामर्श से, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विहित की जाएं, अभिप्रेत हैं;

(iii) "संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना" से ऐसी व्यक्तिगत सूचना अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे वृत्तिक निकायों या संगमों के परामर्श से, जिन्हें वह उचित समझे, विहित की जाए ।

* * * * * *

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

87. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

* * * * * *

(णख) धारा 43क के अधीन युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धति और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा या सूचना

* * * * * *